SHUKLA): Sir, the hon. Leader of the Opposition, Mr. Sitaram Yechury, Mr. Naresh Agrawal, Dr. Maitreyan, Mr. Derek O'Brien, Mr. D. Raja and Mr. K.C. Tyagi have expressed their observations on coal issue. As you know, the Minister of Coal has made a suo motu statement in the House; and after that clarifications were sought. The process of clarifications is still continuing. In between the Prime Minister intervened. Whatever observations they have made, I will definitely convey those to the Minister of Coal who is supposed to reply to all the clarifications.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Thank you. Now, we will take up the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2013, Shri Jairam Ramesh to move the Bill.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, just one second.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I have called Shri Jairam Ramesh.

SHRI DEREK O'BRIEN: It is the most important Bill. We have been at it for three decades in Bengal on this issue. We can't turn this Bill into a *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is expunged.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, it is 4.30 p.m. now; and six hours have been allotted for this Bill, discussion and voting.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is supreme. The House will decide.(Interruptions)... The House is supreme; and the House will decide. Your observation is noted, please. Now, Shri Jairam Ramesh.

SHRI DEREK O'BRIEN: You take the sense of the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: First, let the Minister move the Bill. When it is needed, we will do it.

GOVERNMENT BILL

The Right To Fair Compensation And Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement Bill, 2013

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI JAIRAM RAMESH): Mr. Deputy Chairman, Sir, I move:

^{*}Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Jairam Ramesh]

That the Bill to ensure, in consultation with institutions of local self-government and Gram Sabhas established under the Constitution, a humane, participative, informed and transparent process for land acquisition for industrialisation, development of essential infrastructural facilities and urbanisation with the least disturbance to the owners of the land and other affected families and provide just and fair compensation to the affected families whose land has been acquired or proposed to be acquired or are affected by such acquisition and make adequate provisions for such affected persons for their rehabililitation and resettlement and for ensuring that the cumulative outcome of compulsory acquisition should be that affected persons become partners in development leading to an improvement in their post acquisition social and economic status and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Vinay Katiyar. I have a humble request to the hon. Members. Even though the BAC has allotted six hours, at that time, thinking that the Bill will be taken up in the morning, now the time is 4.30 p.m., hon. Members will stick to the points; and say only relevant points so that we may be able to pass it in 3-4 hours.

SOME HON. MEMBERS: No, no.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. (Interruptions)... All right. (Interruptions)... आप लोग बैठिए। Okay, you sit down. I have called Mr. Vinay Katiyar. आप बैठिए।

श्री विनय किट यार (उत्तर प्रदेश): उपसभापित महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का बड़ा महत्वपूर्ण विषय लोक सभा से होते हुए राज्य सभा में आया है। सर, यह 1894 का अंग्रेजों के समय का पुराना विधेयक है और उस समय से कई बार संशोधित होते हुए आज पुन: हम लोगों के बीच यहां पर आया है। उपसभापित महोदय, जब कभी भूमि के अधिग्रहण का सवाल उठता है, तब किसान रोता है। किसान के पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। वह लाठी खाता है, गोली खाता है और जेल भी जाता है। इसका उदाहरण दिल्ली की सीमा से लगा उत्तर प्रदेश है। चाहे ग्रेटर नोएडा हो, नोएडा हो, दादरी हो या भट्टा परसौल हो, उत्तर प्रदेश में कम से कम इन सारे स्थानों पर किसान ने गोली भी खाई है, लाठी भी खाई है और जेल के अंदर भी गया है। महोदय, यह एक सार्थक बिल बने, इसके लिए आज यहां पर बहस प्रारंभ हो रही है।

महोदय, भूमि एक अनमोल प्राकृतिक साधन है तथा देश के करोड़ों लोगों की जीविका का मुख्य स्रोत भी है। देश का लगभग 58 परसेंट मजदूर वर्ग अभी भी कृषि और उससे सहायक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इकनॉमिक सर्वे के आंकड़ों की बात करें तो 2011 में 1.8 करोड़ ग्रामीण परिवार भूमिहीन थे। संविधान के 44वें संशोधन से पूर्व भूमि धारण करना संविधान के भाग तीन के अंतर्गत एक मूल अधिकार था। बहरहाल, संविधान के 44वें संशोधन के बाद अब यह अनुच्छेद 300(ए) के अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार ही गया है। अनुच्छेद 300(ए) के अनुसार किसी व्यक्ति को सिवाय कानून के अनुपालन के उसकी भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। इस विषय पर सामाजिक और राजनैतिक स्तर पर मतैक्य है कि वर्तमान कानून में किमयां हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत यदि एक बार अधिग्रहण संस्था ने भूमि विशेष के अधिग्रहण का मन बना लिया तो वह उसका अधिग्रहण करके ही रहती है, बिना यह सोचे समझे कि जिस व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई सुरक्षा का मानक नहीं है। वास्तविक रूप से अपील का प्रावधान नहीं है। इसमें पुन: संयोजन एवं पुनर्वास का अभाव है। भूमि अधिग्रहण द्वारा स्थापित व्यक्ति की पुनः स्थापना एवं पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है। आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग होता है। वर्तमान प्रावधान आपात प्रावधानों के विषय में कोई मूलभूत नियम नहीं बताता अपितु यह अथारिटी के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अंतर्गत लगभग सभी अधिग्रहण आपात प्रावधानों के अंतर्गत किए जाते हैं। भूमि अधिग्रहण का मुआवजा वर्तमान सर्कल दरों पर दिया जाता है जो वास्तविक दरों से काफी कम होता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान दृष्टिकोण -- जिस्टिस गनपत सिंघवी के अनुसार पिछले कुछ महीनों में भूमि अधिग्रहण कानूनों के बारम्बार उल्लंघन से यह बात प्रकाश में आई कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एक छलावा बनकर रह गया है। ऐसा लगता है कि यह कानून आम आदमी के अल्प लाभ के लिए बनाया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की एक अन्य पीठ ने उपरोक्त भावना इन शब्दों में व्यक्त की है, "यह बात संबंधित व्यक्तियों ने महसूस की है कि अधिनियम भूमि माफियाओं के हितों की रक्षा करता है। यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण के पश्चात विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं करता, जबकि उसकी जीविका प्रभावित होती है। कम शब्दों में कहें तो यह अधिनियम अपनी उपयोगिता और प्रासंगिता को पारित होने से पहले ही खो चुका है और इसके त्रंत पूनर्नियोजन की आवश्यकता है। जितनी जल्दी हो सके, इसे उचित पारदर्शी एवं तार्किक बनाने की आवश्यकता है। विशेषत: अनुच्छेद ३०० (ए) के प्रावधानों के अनुरूप इसका संयोजन आवश्यक है। हम अपेक्षा करते हैं कि भूमि अधिग्रहण की तिथि निर्माण की प्रक्रिया व्यापक हो और इसमें अनावश्यक विलंब न हो।"

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की किमयों का फायदा उठाते हुए केंद्र, राज्य सरकारों तथा सरकारी निकायों ने बड़ी संख्या में उपजाऊ भूमि का भी अधिग्रहण कर लिया है, जो देश की भोजन सुरक्षा के साथ समझौता है। सरकार ने रेलवे, सेना, एसईजेड, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर उपक्रमों के लिए आवश्यकता से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया है। प्रसंगवश कैंग ने अपनी रिपोर्ट में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, 2012 के भूमि अधिहण के विषय में निष्कर्ष दिया है कि मुंद्रा तथा कृष्णपट्नम अल्द्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए क्रमशः 1538 एकड़ एवं 1096 एकड़ अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार रेवले के पास एक लाख एकड़ से ज्यादा जमीन सरप्लस पड़ी हुई है और जिसे गार्नर फंड को बेचने की प्रक्रिया चल रही है।

[श्री विनय कटियार]

राज्य सरकारें जनहित में भूमि अधिग्रहण कर के प्राइवेट बिल्डरों और उद्यमियों को सौंप देती हैं। वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में एनसीआर, नोएडा तथा कई अन्य राज्यों में भूमि अधिग्रहण को रद्द घोषित कर दिया है।

माननीय उपसभापित जी, नोएडा का जो गौतमबुद्ध नगर जिला है, आज वहां किसान नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, वहां खेती नहीं रह गई है। वहां पर ज्यादातर भूमि को प्राइवेट बिल्डरों को देने का काम किया गया है, कुछ सरकारी कामों को छोड़ करके। अगर इसी प्रकार से सिंचित भूमि को, बहुफसलीय भूमि की जमीनों को दिया जाता रहेगा, तो गांव मिटते जाएंगे और शहरीकरण होता चला जाएगा।

अनियमित भूमि अधिग्रहण ने बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत भूमि संग्रह को बढ़ाया है जिसके परिणामस्वरूप उपजाऊ भूमि की कमी हो रही है और भोजन सुरक्षा से समझौता हो रहा है। बड़े पैमाने पर जनसंख्या का विस्थापन हो रहा है। जीविका का अभाव एवं बड़े पैमाने पर गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। पूनर्वास/पूनर्स्थापन का अभाव है। जहां-जहां पूनर्स्थापित कालोनियां बना दी जाती हैं, वहां विद्यालय का अभाव होता है, वहां पेयजल का अभाव होता है, वहां सूलभ शौचालय का अभाव होता है, वहां रास्ते खत्म हो जाते हैं, उनकी वहां कोई व्यवस्था नहीं होती है। जनजातियों की तो घोर उपेक्षा हो रही है। जनजातियों को जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए तथा भोजन, लकडी, आश्रय, चारागाह इत्यादि के लिए जंगलों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनको वहां पर उचित न्याय नहीं मिलता है। इसके कारण नक्सलवाद की समस्या बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। माननीय उपसभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जंगलों में जो रहने वाले लोग हैं, उनके पुनर्वास के लिए कोई ऐसी नीति बनाएं जिससे कि वे वहां रह भी सकें, एक तरफ पेड़ निकालें, दूसरी तरफ वे खेती करें और तीसरी तरफ फिर पेड़ लगाएं, ऐसी व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। उचित और सुनिश्चित भूमि अधिग्रहण तथा प्रतिकर एवं पुनर्वास नीतियों की आज आवश्यकता है। कुछ कारणों से भूमि अधिग्रहण पर उचित कानून निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। भूमि का उचित उपयोग और मानव जीवन पर उसके प्रभाव का अध्ययन होना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर गृह निर्माण, उद्योग आदि तथा समेकित नगर योजना और आधारभूत ढांचे के लिए भूमि का आवंटन होना चाहिए। भूमि अर्जन पर उचित प्रतिकर का निर्धारण तथा नियामक प्राधिकरण की स्थापना होनी चाहिए। पीएपी के लिए उचित पुनर्स्थापना और पुनर्वास होना चाहिए। बड़ी मात्रा में भूमि का संचयन, उस पर भविष्य में लाभ अर्जित करने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। खाद्य सुरक्षा का संरक्षण होना चाहिए। जनहित शब्द की उचित व्याख्या होनी चाहिए।

उपसभापित जी, स्टेंडिंग कमेटी ने बहुत सारी सिफारिशें की हैं। उनमें कुछ ऐसी भी सिफारिशें हैं, जिनको माननीय मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया है। आपने भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य सीमित रखना, बुनियादी ढांचा परियोजना, सिंचाई, स्कूल, अस्पताल, पेयजल परियोजना आदि पर ध्यान नहीं दिया और इनको बिल में सम्मिलित नहीं किया, जो कि बहुत आवश्यक है। पीपीपी तथा प्राइवेट सेक्टर

अर्जन में सरकार की भूमिका नहीं चाहिए। आपने पूरी तरह से उसमें सरकार की भूमिका को डाल दिया है और कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है कि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए पांचवीं अनुसूची का समावेश एक मॉडल के रूप में है। इसी तरह बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में कोई भी आधारिक संरचना घोषित करने पर राज्य सरकार की निर्योग्यता को भी सरकार ने नहीं माना। सामाजिक प्रभाव के सही आकलन के पश्चात ही भूमि की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए, इस भूमि की पहचान नहीं हो रही है, जो कि पहले ही होनी चाहिए। एस.आई.ए. को ग्राम सभा की आवश्यक सहमति हो। इसमें क्लेक्टर करेगा, बाकी के लोग करेंगे, लेकिन जो ग्राम सभा की सहमति होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। विधेयक की धारा 10 द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रतिस्थापना सुनिश्चित की जानी चाहिए। भृमि के बाजार मुल्य निर्धारण हेत् बहुसदस्यीय भृमि निर्धारण आयोग की स्थापना होनी चाहिए। कंपनियों द्वारा किए गए अपराध को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निपटाया जाना चाहिए। हर बार कंपनियों के लिए यह सुविधा दे दी जाती है, लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि जब बाकी अपराध होते हैं तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज होते हैं और जब इन पर अपराध होता है तो फिर इनको क्यों छोड़ दिया जाता है? यह बात में ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक कमेटी की रिपोर्ट भी यही कह रही है, इसलिए इनके अपराध भी भारतीय दंड संहिता के अनुसार निपटाए जाने चाहिए। अधिसूचना के माध्यम से अनुसूचियों में संशोधन की शवित निहित है, इस खंड 99 को हटाया जाए। विशेष आर.आर. पात्रता तय कारकों से यदि नहीं दी जाती है, तो दूसरी अनुसूची से दी जानी चाहिए। माननीय मंत्री जी, इन 11 बिंदुओं की स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश की है, लेकिन आपने इनको बिल में शामिल करने का काम नहीं किया है।

उपसभापित जी, अभी तक 6.5 करोड़ किसान विस्थापित हुए हैं, इसीलिए भूमि अधिग्रहण का प्रश्न खड़ा होता है, तो किसान आंदोलित हो जाता है। सन 1894 में अंग्रेजों ने भूमि अधिग्रहण बिल तैयार किया था। इसमें आजादी के बाद से तीन बार संशोधन हुआ है। यह संशोधन 1962, 1967 और 1984 में हुआ है, लेकिन किसान नाराज है। वह चाहता है कि भूमि अधिग्रहण तरीके से किया जाए। यदि किसान की भूमि का अधिग्रहण मनमाने तरीके से हो जाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से नाराज हो जाता है। यह जो क्लॉज-2 है, इसमें जितने प्रभावित परिवार हैं, 80 फीसदी लोगों की आम सहमित होनी चाहिए कि यह भूमि अधिगृहीत की जाए या न की जाए, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरिशप के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके लिए यहां पर 70 परसेंट रखा गया है मगर इसमें सरकारी प्रोजेक्ट के लिए किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपके समक्ष कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, तो फिर एक समानता रखने में क्या परेशानी है? इसको यदि एक समानता से लागू किया जाए और आपकी कोई मजबूरी भी न हो तो यह बिल अच्छा होगा। माननीय मंत्री जी, आप से आग्रह है कि जब आप जमीन का अधिग्रहण करते हैं, तो जहां पर गांव बसते हैं, वहां आबादी के लिए जमीन निर्धारण का कोई मापदंड होना चाहिए और वह मापदंड नहीं है। अगर वहां पर गांव बसते हैं, तो फिर आबादी बढ़ती है। आपने यदि आबादी के लिए जमीन नहीं

[श्री विनय कटियार]

छोड़ी, तो आने वाले दिनों में किसान तो अपनी आबादी के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं करवा सकता है। यदि पहले से इसके लिए जमीन छोड़ दी जाए, जो ज्यादा अच्छा होगा।

उपसभापित महोदय, मैं आपका ध्यान इस बिल के क्लॉज 9 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि यह सबसे खतरनाक है। यह जो क्लॉज 9 का urgency provision under section 38 है, इसके तहत सरकार अधिग्रहण करती है, तो क्लॉज 9 की प्रक्रिया को social Impact Assessment से मुक्त रखा था। धारा 9 में दी गई व्यवस्था का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है, अत: मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो धारा 9 है, इसमें आपात स्थिति में लेने की जो बात कही गई है, इसको समाप्त कर दिया जाए। यह धारा किसान विरोधी है और इसका कहीं पर भी औचित्य नहीं है।

महोदय, किसी भी प्रकार का अधिग्रहण हो, चाहे प्राइवेट कंपनीज के लिए हो, पब्लिक परपज के लिए हो, सोशल इम्पेक्ट के लिए हो, असेस्मेंट के लिए हो या एन्वायरन्मेंटल परपज के लिए हो, इन फेक्ट निश्चित रूप से इसका असेस्मेंट होना चाहिए, लेकिन माननीय मंत्री जी, इस सैक्शन के नीचे आपकी 'धारा 10' जो कहती है, हम आपका ध्यान उसी क्लॉज 10 की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। क्लॉज 10 कहता है कि, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर मल्टीक्रॉप, माने बहुफसली जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, जबिक इसी में 'सैक्शन 2' कहता है, इस सैक्शन में यह बात कही गई है कि, 'नहीं, ऐसा किया जा सकता है।' एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो बहुफसली जमीन है, उस जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, जबिक दूसरी तरफ, वहीं पर उसका सैक्शन 2 कहता है, कि 'नहीं, ऐसा किया जा सकता है।' इस तरह से तो हम फिर से वहीं पर आकर खड़े हो गए, जहां पर पहले थे, यानी कि अधिग्रहण किया जा सकता है। महोदय, यह दोहरी बात है, इस पर एक बात होनी चाहिए, नहीं तजो इस धारा को भी समाप्त किया जाए।

महोदय, यह कहा गया है कि, "जब तक किसान सहमित न दे, तब तक किसी भी हालत में भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए"। यदि किसान की सहमित नहीं है और आप उस जमीन का अधिग्रहण करते हैं और वह भी सिंचित भूमि हो, बहुफसली भूमि हो, तो में समझता हूं उस भूमि का किसी भी कीमत पर अधिग्रहण नहीं होना चाहिए।

महोदय, हमारे आसपास बहुत बंजर जमीन है। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बंजर जमीन खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी कई अन्य राज्यों के अंदर बहुत-सी बंजर जमीन है। वैसे तो कई प्रदेश अभी ऐसे भी हो गए हैं, जहां पर बंजर भूमि नहीं है। हिरयाणा के पास बंजर भूमि नहीं होगी, पंजाब के पास नहीं होगी, उत्तर प्रदेश के पास भी बहुत कम है, बिहार में बहुत कम है। यह इसिलए हो रहा है क्योंकि सभी जगहों पर कब्जे हो रहे हैं। इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे राज्य हैं, इनके अंदर ऐसे स्थान है, जहां पर बंजर भूमि है, इसिलए आप वहां की बंजर भूमि से काम चलाइए। इन राज्यों में कई जगहों पर ऊसर जमीन पड़ी हुई है, अत: इस तरह की जो ऊसर भूमि है, जहां पर जमीन ऊसर पड़ी हुई है, आप उस जमीन से काम चलाइए। स्टैंडिंग

कमेटी ने भी इस पर सिफारिश दी है कि इसके अंदर इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए और सिंचित जमीन किसी भी कीमत पर नहीं लेनी चाहिए। अगर वह जमीन चली जाती है तो पूरा परिवार, पूरा गांव उजड़ जाता है। जब गांव उजड़ जाता है, तब वे लोग विभिन्न गांवों के अंदर जाकर बसते हैं।

महोदय, धारा 63 में यह प्रावधान रखा गया है कि, 'किसान अपील नहीं कर सकता है।' आपने इस धारा में यह प्रावधान रखा है। आप धारा 63 पढ़िए, इसमें लिखा है, कि' किसान अपील नहीं कर सकता है।' मैं पूछना चाहता हूं कि वह अपील कहां करेगा? वह अपील करने के लिए किस जगह पर जाएगा? आप कम से कम किसान को अपील तो करने दीजिए ताकि वह अदालत का दरवाजा खटखटा सके। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप कम से कम किसानों को कोर्ट में तो जाने दीजिए, उसका दरवाजा तो खटखटाने दीजिए, जहां जाकर वह किसान अपील कर सके।

महोदय, धारा 38 में यह प्रावधान रखा गया है, जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी गई है कि, "आपात् स्थित में नोटिफिकेशन करके तीन दिन बाद किसी भी जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं"। आप तीन दिन का मौंका दे रहे हैं। आप जमीन का अधिग्रहण करते हैं और फिर तीन दिन के अंदर यह कहते हैं कि नहीं, इसका अधिग्रहण हो गया है, इसलिए अब आप जमीन खाली कीजिए। वह कहां जाएगा? तीन दिन के प्रावधान से तो ऐसा लगता है कि एक प्रकार की तानाशाही स्थापित हो जाएगी और पूरा काम भी उसी हिसाब से चलेगा। यह जो धारा 38 है, यह किसान विरोधी है, इसलिए इस धारा को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए।

महोदय, मैं धारा 45 के बारे में पूछना चाहता हूं कि अथॉरिटी कहां बनेंगी और कितनी बनेंगी? इस व्यवस्था के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसको भी स्पष्ट करना चाहिए कि आपकी कितनी अथॉरिटीज बनेंगी और कितने स्थानों पर बनेंगी। ये अथॉरिटीज जिला केंद्रों पर बननी चाहिए। मेरी आपको यह राय है कि आप इनको जिला केंद्रों पर बनाने का काम कीजिए ताकि वहां पर किसान भी जा सकें और बाकी लोग, जो ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके लिए भी इसकी व्यवस्था जिला केंद्रों पर होनी चाहिए।

महोदय, क्योंकि अभी अदालतों के अंदर निबटारे को लेकर बहुत केसेज चल रहे हैं, इसलिए इन केसेज का निबटारा फास्ट कोर्ट की तरह होना चाहिए। एक पक्ष कहता है कि यह मेरी भूमि है, दूसरा पक्ष कहता है कि यह मेरी भूमि है, इसको लेकर बहुत झगड़े चलते रहते हैं, अत: मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन मुद्दों को लेकर अदालतों के अंदर फास्ट ट्रैंक कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। यह किसकी भूमि है, किसकी भूमि नहीं है, इस मुद्दे का जल्दी से जल्दी निबटारा होना चाहिए। इसको पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलने देना चाहिए, इसलिए इसके लिए एक समय सीमा भी निश्चित कर दीजिए। यदि आप इसके लिए एक समय निश्चित कर देंगे तो अच्छा होगा।

।श्री विनय कटियार।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आवश्यकता से अधिक जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। पूरे जिले का अधिग्रहण हो जाए और वहां के पूरे गांव उजड़ जाएं, यह किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहिए। कई बार इस प्रकार से हुआ है और हमने इसके बारे में कहा भी है। जैसे दादरी है, दादरी के पास बिजली प्रोजेक्ट लगाने के लिए जमीन ली गई थी, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं लगा। वह जमीन कहां है, यह आज तक पता नहीं चला। पूर्व प्रधानमंत्री, वी. पी. सिंह जी कई बार वहां पर हल चलाने गए, लेकिन उस जमीन का क्या हुआ? आखिर वह जमीन किसानों को मिलनी चाहिए। अब आपने वह जमीन भूमि बैंक को दे दी होगी। अब वह प्रदेश के पास होगी, लेकिन वह जमीन किसानों को मिलनी चाहिए। अगर किसानों को मुआवजा मिला है, तो किसान उतना ही मुआवजा उनको वापस कर दे। जो किसान मुआवजा वापस करना चाहते हैं, जितना मुआवजा आपने उनको दिया है, आप उनका मुआवजा वापस ले लीजिए और वह भूमि उन किसानों को दे दीजिए। जब से आपने मुआवजा दिया है, तब से लेकर आज तक आपने वहां पर एक पैसा नहीं लगाया है, कुछ काम नहीं किया है। ऐसा कैसे चलेगा? इसलिए जहां ज्यादा जमीनें पड़ी हुई हैं, वहां आवश्यकता से अधिक जमीनों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए।

जो अधिगृहीत जमीनें हैं, जो पांच वर्षों तक उपयोग में नहीं आती हैं, आपने भी इसमें सीमा रखी है और पांच वर्ष तक की बात की है, उन्हें किसानों को वापस करना चाहिए, लेकिन आपने इसके साथ-साथ एक और बात जोड़ी है कि यह सरकार के भूमि बैंक में चली जाएगी। यह तो आपने दोहरी बात कह दी। अगर एक बार सरकार ने किसी जमीन का अधिग्रहण कर लिया, चाहे किसी की भी सरकार हो, फिर वह दोबारा किसान को वापस नहीं करना चाहती। सरकार यह चाहती है कि वह हमारे बैंक में आ जाए। यह तो दुधारी तलवार हो गई। माननीय मंत्री जी, जब आप ऐसा कहते हैं, तो फिर आप इसको किसानों को वापस कीजिए। जो किसान इसका मुआवजा वापस दे दें, जितना मुआवजा आपने दिया है, वह मुआवजा लेकर जमीन उनको वापस दे दीजिए, तो रास्ता साफ हो जाएगा।

अब जमीन की जो वैल्यू है, तो रिजस्ट्री की जो वैल्यू होती है, वह बहुत कम होती है। जमीन की कीमत उससे दोगुनी, तीन गुनी, चार गुनी तक जाती है। अगर आपने जमीन की वैल्यू के आधार पर किसानों को मूल्य देने की कोशिश की, तो उसमें झगड़ा खड़ा होगा, फिर वे अपनी जमीन नहीं देंगे, क्योंकि उनकी तो जमीन जा रही है। अब आप उसमें कह सकते हैं कि हम उनको दोगुनी कीमत देने की कोशिश करेंगे, हम चार गुनी कीमत देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए एक साफ नीति बननी चाहिए।

इसमें आपने शहर के लिए अलग प्रावधान रखा है और देहात के लिए अलग प्रावधान रखा है, तो शहर की सीमा क्या होगी और देहात की सीमा क्या होगी? कई गांव आज शहर बन गए, शहर के अंदर आ गए। क्या आप उनको इस सीमा के अंदर शहर में मानेंगे? चूंकि उनकी ग्राम पंचायतें हैं, अभी वहां पर ग्राम प्रधान चुना जाता है, तो वे तो उसे अपना गांव मानते हैं, लेकिन वहां सारा कारोबार, सब रहन-सहन बिल्कुल शहरी हो गया है। वह स्थिति क्या बनेगी, कम से

कम उस स्थिति पर भी विचार करने की जरूरत है। इसलिए जमीन जो अंडरवैल्यूड है, चूंकि वह मार्केट वैल्यू पर नहीं है, इसलिए मार्केट वैल्यू पर उनको कंपेंसेशन दी जाए। उसकी पूरी तरह से तैयारी होनी चाहिए।

अब मैं कुछ बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारी पार्टी से और भी लोग बोलने वाले हैं। इसलिए मैं आपके सामने डेढ़-दो मिनट में केवल कुछ बिंदु रखना चाहता हूं और जितना मैंने कहा है, उसको क्रमबद्ध करके आपके सामने रखना चाहता हूं।

उपसभापित महोदय, आबादी पर कानून बनना चाहिए। जब तक आबादी पर कानून नहीं बनेगा, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक कई समस्याओं का समाधान नहीं होगा। चूंकि यह जमीन तो बढ़ेगी नहीं, इसलिए इस पर सख्ती करनी चाहिए। कुछ लोगों को यह अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को खराब लगेगा, लेकिन...

श्री उपसभपति : विनय कटियार जी, आपकी पार्टी के और तीन स्पीकर्स हैं...(व्यवधान)...I was only cautioning you.

श्री विनय कटियार: मैंने तो पहले ही कहा है कि मैं डेढ़ मिनट में अपनी बात समाप्त कर दंगा। मैं पार्टी का पहला वक्ता हं।

श्री उपसभापति : आप बोलिए।

श्री विनय किटयार: खाली जमीनों पर उद्योग लगाए जाएं। किसानों की खेती की जमीन, जो कई फसलों वाली जमीन हो, किसी प्रकार से नहीं ली जानी चाहिए। इसमें किसान 76 प्रतिशत से घट कर काफी नीचे आ गए हैं, करीब 58 प्रतिशत तो मजदूर वर्ग के लोग हो गए हैं।

इसमें 80 प्रतिशत किसानों की सहमित की बात कही गई, लेकिन 100 प्रतिशत किसानों की सहमित की बात क्यों नहीं कही गई? जब आप 80 प्रतिशत की बात करते हैं, तो आप इसको 100 प्रतिशत तक लाइए। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है, तो एक-दो प्रतिशत कम कर दीजिए, इसको 98 प्रतिशत कर दीजिए, लेकिन 80 प्रतिशत की बात समझ में नहीं आती है। इसलिए उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए।

2005 में एसईजेड देश का सबसे बड़ा घोटाला है। यह जमीन किसानों को वापस होनी चाहिए। पांच वर्ष तक जमीन का उपयोग न होने पर किसानों को वह जमीन वापस होनी चाहिए, यह हमने पहले बता दिया। इसमें भूमि बैंक का जो मामला है, वह ठीक नहीं है। रजिस्ट्री कराते समय, वह उस जमीन का क्या उपयोग करेगा, यह लिखवाना चाहिए। आप जिस जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, वह किसके लिए कर रहे हैं? यह रजिस्ट्री में लिखा जाना चाहिए। जब आप किसान की रजिस्ट्री करवाते हैं या जब आप भूमि अधिग्रहण करते हैं, तो रजिस्ट्री में यह बात लिखी जानी चाहिए।

आप जिसकी जमीन ले रहे हैं, जिसे उजाड़ रहे हैं, उसको कम से कम एक नौकरी अवश्य दी जानी चाहिए। [श्री विनय कटियार]

धारा 9, धारा 10 और धारा 38 किसान विरोधी धाराएं हैं, इनको पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। जमीन रोज घटती चली जा रही है। किसानों को भूखा-नंगा किया जा रहा है। जो किसान मालिक हुआ करता था, आज वह मजदूर बन गया है। पशु पूरी तरह से समाप्त होते चले जा रहे हैं।

किसानों पर इन्कम टैक्स पड़ता है। इसे देखना चाहिए कि कहां-कहां पर, किन-किन स्थानों पर किसानों पर इन्कम टैक्स पड़ रहा है, उस पर रोक लगानी चाहिए।

जहां पर आप जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, वहां से विस्थापित लोग या अढ़ाई एकड़ वाले किसान आज पूरी तरह से भीख मांगने की स्थिति में आ गए हैं। आप उन्हें अपील करने का अधिकार भी नहीं दे रहे हैं। कलक्टर जो कहेगा, वही होगा। यदि किसानों को सुना नहीं गया, इस तरह तो हमारे देश के अंदर तानाशाही हो जाएगी।

माननीय उपसभापित जी, मैंने अपनी बातें रखीं। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमने जो संशोधन कहे हैं, उनको आप स्वीकार करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SHANTARAM NAIK (Goa): Sir, the Congress President has taken a lot of efforts to see to it that the Bill comes up before the House. I would also like to congratulate Shri Jairam Ramesh, who has made efforts tirelessly to see to it that the Bill is drafted in a proper manner, exhaustively, to satisfy all the needs of the society.

Now, Sir, when I practised as a lawyer, there used to be many cases under the Land Acquisition Act. I know what the sufferings of the people were at that time. There were, practically, forced acquisitions under the old Land Acquisition Act, which we are now going to repeal. There were forced acquisitions in the sense that there was practically no remedy. A person filed an application under section 5A if he had an objection to the acquisition. But those were only formal applications. No Deputy Collector hearing those applications considered it under the provisions of section 5A, whatever were the arguments. This was the situation. And the rates fixed by the Land Acquisition Officers were very, very low. They used to take land from the poor people and pay them very low rates of compensation. Now, this is a revolutionary Bill. I say this for the simple reason that the very basis of this law is a social impact assessment. It is only after the social impact assessment that land could be acquired and, for the purpose of assessing the social impact, the Gram Sabha would be the primary body where the consultations would take place. Secondly, only a bare minimum land would be acquired for a project. Then, it would be verified whether alternate land is available for the purpose and whether an assessment has been made. Third, there would be a public hearing while making the social impact assessment. People would

5.00 р.м.

be asked for their opinion. Then, there would be a study report. After this report is prepared, it would be published and uploaded on the website, so that everybody comes to know about it.

Then, under Clause 11, if within ten months of the publication the Notification is not issued, the acquisition would lapse; it would not remain in force. Secondly, if an ultimate declaration has to be made, it will have to be made along with a rehabilitation and resettlement scheme. जब यह जमीन लिखेंगे, तब क्या रीसेटलमेंट होगा, लोगों की जानकारी के लिए यह पूरी बात पब्लिश की जाएगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) in the Chair

Then comes the question of compensation. It is four times in rural areas and two times in urban areas. The loss caused to Scheduled Tribes and forest dwellers would be taken care of. They would be considered tenants of the land and their interests would be protected. Even those having easement rights would get compensation and, if a person's primary source of livelihood is going to be affected, then, that aspect will also be taken into consideration. Now, there is a liberty given under Clause 108 and Clause 109. If a State Government likes to give more compensation, if a State Government likes to give better facilities, then, what is provided is that they will be free to do that. If they have got necessary budget with them, then, they will be free to give better facilities, better compensation than what is provided now. This is a very historical provision. Then, as the law stands today, what is the provision? Today, you acquire the land under the present law by giving them minimum compensation, whatever it is. If he has got a house on that plot, तो उस हाउस के लिए उसे कुछ ज्यादा दिया, इसके सिवाय कुछ नहीं दिया। इतना ऑर्डिनरी प्रोसीजर हुआ करता था for acquisition of land. Today, not only after acquisition, you will have to give them house sites. If there is a house on a plot of land, then, house site will have to be given. If it is an agricultural land, then, alternate land will have to be given. Then, mandatory employment to those affected by acquisition, jobs will have to be given mandatorily. This is important. This is why I am calling this legislation a very historical legislation.

Now, the question is, after some time, lands are transferred after acquisition. If that is so, then, 40 per cent of the increased value will have to be paid to the land owner. This is also an additional benefit to those whose land is acquired.

Further, Sir, presently, who deals with land acquisition? After the award is passed, if those to whom the rate fixed by the Land Acquisition Officer is not agreeable, then, he can make an application to refer the case to the District Judge. Today, all these

[Shri Shantaram Naik]

matters are decided by District Judge or Additional District Judge, as the case may be, for enhancement of the rate. Invariably, अगर उसे 10 रुपये दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट जज 20 रुपये देता है, इसे बढ़ाता है। There is a standard formula by which you get a little more than what is given by the Land Acquisition Officer. लेकिन, इसमें यह होगा कि इसे डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड नहीं करेगा। I told Rameshji also. Special authorities will be appointed under this Act to decide about land acquisition matters, and these authorities will have proper staff, registrar and all these things. So, it will not be the District Judge. The qualification will be of the District Judge, but there will be an independent Land Acquisition Authority. This is very important because today in hundreds of courts in the country, a number of land acquisition petitions are pending, and people do not get the compensation in time. It takes years till the District Judge gives the award of enhancement. Therefore, this provision, according to me, is very, very important, provided the State Government also takes deep interest in appointing the number of authorities as are required. Supposing, in a given State, three-four authorities are appointed, then, it will be of no use. Today, under these circumstances, every District Judge or Additional District Judge also acts as Land Acquisition Officer in spite of the fact that these numbers are not sufficient. If these authorities are increased, that means, if the number of authorities which are appointed are sufficient enough to clear all land acquisition matters, it will help the people.

Now in this there is also a provision— I will not go into details of it - whereby the person affected can also be made partners in the projects which come under the private-public model. The details are to be worked out. But they will also be partners not necessarily in all cases but in cases of PP model. No multi crop land will be acquired. This question arose because earlier when SEZs were established in the country, not only single crop land, but multi crop land also was acquired. I do not know whether it was permissible under SEZ law. But there were cases where multi crop land was acquired. Therefore, there were agitations against SEZs. In my State, I said that we do not want SEZs. Three SEZs were notified. We opposed it. Ultimately, they were on the verge of tension. Why? These people obtained land three or four times more than the actual requirement. This is number one. Number two, they did not assure that the local people will be given jobs. You were to have vast estates in the name of SEZs. They do not also assure jobs for the people. There were also other illegalities. So, Goa is one of the few States which have opposed SEZs. It is okay with bigger States because in bigger States a lot of land is available but in a State like Goa where only a few acres of land is there, we said that we do not want. This is one reason. In the case of public private acquisition, the consent of local people will be

required and the consent should be up to 70 to 80 cent because there the people are to be involved. If you will really like to have this project in your area, people may say how to obtain consent, how many signatures will have to be obtained, who will call the meetings. All such issues are coming up, no doubt, but, eventually, these issues will be settled. People will gather. Today Gram Sabhas are very effective. Sometimes there are problems in Gram Sabha meetings. But, ultimately, if an issue is put before a Gram Sabha, I think, in the interest of the village or in the interest of the area, where a project is coming up, they will decide whether they require this particular project or not. Now regarding the consent of 70 to 80 per cent, there may be some problems in deciding whether the proper consent of people was there, how many people were present for the meeting, who has consented, such issues may arise, no doubt, but, ultimately, the law will get settled and conventions will be there. Another very important aspect is that unless full payment is made, the affected person cannot be compelled to part with the land. This is different from the present law. They used to enter, do all sorts of damage and used to give some compensation, etc., but here unless the full payment is made, you will not be compelled to part with the land. This is one important provision in this Bill which will go a long way to help people and to give them satisfaction. Now as regards tribal areas, the issues of tribal areas are multifaceted. There are also problems of their culture, their livelihood, their style of living, etc. So, when land is to be acquired and if it is a tribal area, then, necessary precautions have to be taken by the land acquisition authorities to make proper assessment to see whether their life is going to be substantially affected. Therefore, social impact assessment, as far as tribal areas are concerned, has to be done more carefully, more effectively to the satisfaction of all. Therefore, a provision has been made; a special hapter is being included for the purpose of acquisition of land in this area.

Another vital provision — which, I think, is vital — is that if a Government sometimes want to acquire a land, and it is difficult to acquire that, there is a provision that that land can be acquired on lease basis. So, you can acquire it on lease basis also, if all concerned persons agree to it. It will be a very short-cut method for the purpose of acquiring land. You just enter into an lease agreement for 99 years and that's it. After that, the law will follow its own course.

Last one or two points. If a land remains unused, it has to be returned back to the owner or to the land bank. I would like the hon. Minister to clarify it. I fail to understand why the word 'or' has been used here. Does it mean that it is not mandatory to return the land to the owner? (Time-bell) I would take just one more

minute, Sir. I have been allotted fifteen minutes, while I have taken only fourteen minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Yes, I know.

SHRI SHANTARAM NAIK: So, if a land remains unused, would it go to the land bank or to the owner? That has to be clarified.

Lastly, no income tax or stamp duty would be charged in respect of the land that would be acquired.

Thank you very much. I, once again, congratulate the hon. Minister for bringing forward this revolutionary Bill.

सुश्री मायावती (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने देश में भूमि अधिग्रहण का मामला काफी वर्षों से विवादों में घिरा रहा है और अपने देश में अभी तक इससे सबसे ज्यादा प्रभावित खास तौर से छोटे किसान व आदिवासी समाज के लोग ही रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस मामले को लेकर पूरे देश में समय-समय पर विभिन्न स्तर पर अनेक आंदोलन भी हुए हैं। जब इन आंदोलनों ने काफी उग्र रूप ले लिया तब उसके बाद केंद्र की सरकार इस मामले में कुछ आधी-अधूरी हरकत में आई है। अर्थात्, अब काफी लंबे अर्से के इंतजार के बाद केंद्र की सरकार द्वारा किसानों, आदिवासी व अन्य कमजोर तबकों तथा भूस्वामियों के हितों में यह भूमि अर्जन, पुनर्वासन व पुनव्यर्वस्थापन विधेयक, 2013 लाया गया है।

इसके बारे में कुछ कहने से पहले में यहां यह बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज जो यह नया भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया गया है, इससे पहले बने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में अभी तक केंद्र व राज्य की सरकारों द्वारा इसमें अभी तक अनेक संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में भी सन् 2010-11 के दौरान हमारी पार्टी की सरकार ने वहां के किसानों, कमजोर तबकों व अन्य भूस्वामियों के हितों में भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन को लेकर एक नई प्रगतिशील नीति निर्मित की थी, जिसके काफी अंशों व प्रावधानों को केंद्र की सरकार अपने इस नए विधेयक में शामिल करके अब यह नया भूमि अर्जन पुनर्वासन व पुनव्यस्थापन विधेयक, 2013 लाई है जिसमें विभिन्न दलों के कुछ जरूरी सुझाव भी संशोधन के रूप में इसमें सम्मिलत किए गए हैं। इस प्रकार से इस विधेयक के जिरए यहां किसानों, कमजोर तबकों और अन्य भूस्वामियों को अब जो थोड़ी सी राहत मिलने जा रही है, उसका हमारी पार्टी समर्थन करती है और अब यह विधेयक राज्य सभा में भी पास हो जाने के बाद 119 साल पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनयम 1894 की जगह ले लेगा। इस विधेयक की आवश्यकता को लेकर हमारी पार्टी का यह भी कहना है कि अपने भारत देश में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा शुरू से ही काफी ज्यादा विवादित व खास करके किसानों, दिलतों व आदिवासी समाज को काफी कुछ परेशान करने वाला रहा है। यह गंभीर विंता का विषय है। हमारी पार्टी का यह मानना है कि इस समस्या का प्रमुख कारण खास तौर से केंद्र व राज्य

सरकारों के द्वारा बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों व बड़े-बड़े पूंजीपतियों को विशेष रियायतों पर उनकी जरूरत से काफी ज्यादा जमीन देकर उन्हें खुश करने की प्रवृत्ति का रहा है और यह हकीकत भी है। इसी कारण स्पेशल इकॉनोमिक जोन अर्थात एस.ई.जैड. आदि के तहत भूमि अधिग्रहण करने का मामला भी काफी ज्यादा विवादों के घेरे में रहा है। इससे ब्री तरह से प्रभावित हुए लोगों के तीव्र आंदोलनों के कारण फिर सरकारों को भी इस मामले में कुछ हद तक पीछे हटाना पड़ा। वैसे इस मामले में यह बात भी सर्वविदित है कि पूर्ण रूप से देश व जनहित के लिए लिया गया कोई भी सरकारी फैसला ज्यादातर जनता देर-सवेर मान ही लेती है, यदि वह उनके हित में फैसला है। परंतू जनहित से धोखा करके जब सरकारें स्वार्थी लोगों को अनाप-शनाप लाभ पहुंचाना चाहती हैं, तब जनता इसकी अनदेखी नहीं कर पाती और इसके खिलाफ फिर वह काफी उग्र होकर आंदोलित हो जाती है। जिसके कारण आखिर में स्थिति इतनी ज्यादा उग्र हो जाती है कि फिर कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ भी जाती है, जिससे काफी जानमाल की हानि होती है और इस असंतोष के लंबे क्रम में फिर हमारे उद्योग-धंधे भी काफी हद तक प्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस प्रकार के मामलों में लोग और भी ज्यादा आंदोलित व उग्र तब हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि उनकी जमीन जिस खास उद्देश्य के लिए अधिगृहीत की गई है वह न केवल वर्षों से खाली पड़ी हुई है, बल्कि उसका उपयोग भी बदलकर पूर्ण रूप से लाभ व स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाने लगा है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात यह रही है कि जिन राज्यों में सरकार ने जिस मकसद से किसानों, दलितों, आदिवासियों व अन्य भू-स्वामियों की जमीन अर्जित की है तो सरकार ने उन्हें न तो समय से उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया है और न ही उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की तरफ कोई विशेष ध्यान दिया है। इस मामले में आज छोटे किसान, आदिवासी व अन्य कमजोर वर्गों के लोग ही बुरी तरह से पूरे देश में प्रभावित होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, अर्थात इनकी ज्यादातर जमीनें औने-पौने भावों में खरीद ली गई हैं। इससे इनके अपने घर-बार व रोजी-रोटी के ज्यादातर साधन उजड़ गए हैं, जिनकी वजह से मजबूरी में इनमें से कुछ लोग तो देश के कुछ राज्यों में नक्सली बन गए हैं या फिर अन्य गलत रास्तों पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं या फिर वे आत्म-हत्या तक करने की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। हमें यह खराब स्थिति सब से ज्यादा कृषि बाहुल्य राज्यों और कमजोर व आदिवासी बाहुल्य राज्यों में देखने को मिलती है। आदिवासी बाहुल्य राज्यों में तो इन लोगों ने काफी दुखी होकर अपना गुस्सा कभी आम जनता, कभी शासन व प्रशासन के अधिकारियों और कभी राजनेताओं पर भी उतारा है। इस बात के अनेकों उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, जिनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहती। इसके अलावा अर्जेंसी क्लॉज का भी इस्तेमाल कर के इन लोगों का अभी तक बड़े पैमाने पर शोषण किया गया है। यह सब उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बनने से पहले यहां पूर्व की लगभग सभी सरकारों के दौरान ज्यादातर देखने को मिला है, जिस की वजह से फिर हमारी पार्टी की सरकार को भी इन सब का काफी ज्यादा विरोध झेलना पड़ा है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी की सरकार ने सन 2007 से लेकर 2010 तक इस मामले में केंद्र की सरकार से पूरे देश के लिए एक समान राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन नीति बनाने की विशेष पहल की, लेकिन दुख की बात है कि केंद्र की सरकार

[सुश्री मायावती]

ने जब इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तब आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व अर्थात् सन् 2010 व 2011 में हमारी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसान पंचायत के माध्यम से बातचीत कर के किसानों के व्यापक हितों के संरक्षण के लिए एक नई प्रगतिशील भूमि अधिग्रहण व पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति को उत्तर प्रदेश में लागू किया। इस के साथ ही उस समय केंद्र सरकार से इसी तर्ज पर तत्काल जनहित में नई राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण नीति बनाने की हमारी पार्टी ने मांग की थी, परंतु बड़े दुख की बात है कि केंद्र की सरकार ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण व राष्ट्रीय महत्व के मामले को भी काफी लंबे समय तक लटकाए रखा और अब जब देश में लोक सभा के आम चुनाव का समय बहुत नजदीक आ रहा है, तब इस मामले को आधी-अधूरी तैयारी के साथ संसद में लाया गया है। इसलिए इस में अभी और भी ज्यादा संशोधन किए जाने की जरूरत है। में यहां यह भी कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार ने सन् 2010-11 में किसानों, कमजोर तबकों व अन्य भू-स्वामियों के हितों में जो नई भूमि अर्जन, पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति घोषित की थी, वह काफी ज्यादा प्रभावशाली एवं प्रगतिशील थी जिस में यह प्रावधान किया गया था कि विकासकर्ता ही अपनी परियोजनाओं के लिए किसानों से सीघे जमीन खरीदेगा। यह हमने व्यवस्था की थी। हमारी नीति में था कि अब सरकार इसके लिए जमीन अधिग्रहण करने का काम बिलकूल नहीं करेगी अर्थात शासन-प्रशासन का काम अब केवल विकासकर्ता व किसानों के बीच तालमेल बनाने का ही होगा, यह भी हमने व्यवस्था की थी। इसके साथ ही विकासकर्ता को परियोजना के लिए चिह्नित भूमि में से कम से कम 70-80 प्रतिशत किसानों से गांवों में बैठकर, आपसी सहमति के आधार पर पैकेज तैयार करके, उन से सीधे अपने तौर पर जमीन खरीदनी होगी। और यदि कम से कम 70-80 प्रतिशत किसान इस से सहमत नहीं होते हैं, तो फिर संबंधित परियोजना पर पुनर्विचार किया जाए। इसके साथ ही इस नई व्यवस्था के तहत किसानों को हमारी पार्टी की सरकार ने दो विकल्प भी दिए थे, जिन के तहत वे या तो 16 प्रतिशत विकसित भूमि ले सकते हैं और इसके साथ-साथ 23 हजार रुपए प्रति एकड़ की वार्षिकी भी उन्हें 33 वर्षों तक मिलेगी। इस के साथ ही यदि किसान चाहे तो 16 प्रतिशत भूमि में से कुछ भूमि के बदले नगद प्रतिकर भी ले सकते हैं। इसके अलावा किसानों को दी जाने वाली विकसित भूमि निशुल्क मिलेगी अर्थात् इस पर कोई स्टैंप ड्यूटी आदि भी नहीं लगेगी। यह व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की थी। और यदि कोई किसान वार्षिकी नहीं लेना चाहता, तो उसे एकमुश्त 2,76,000/- रुपए प्रति एकड़ की दर से पुनर्वासन अनुदान दिया जाएगा, यह हमारी नीति में था। हर स्तर पर हमारी सरकार की इस नीति व व्यवस्था को काफी सराहा गया था, यहां तक कि वहां की विरोधी पार्टियां भी अंदर ही अंदर इसकी सराहना करती हुई हमें नजर आई थीं। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ खास सूत्रों से हमें यह भी सुनने को मिला है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में लाए गए अपने इस भूमि अर्जन पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन के विधेयक में भी हमारी इस नीति के काफी कुछ नकल तो जरूर की गई है, लेकिन इसके साथ ही केंद्र की सरकार द्वारा इस विधेयक में देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हितों में जानबुझ कर कुछ ऐसे प्रावधान शामिल कर दिए गए हैं, जिनकी वजह से हमारी सरकार की नीतियों की नकल करने से भी इस मौजूदा विधेयक के जिए प्रभावित लोगों को इसका कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने इस विधेयक में पूंजीपति समर्थक नीति को किसी न किसी रूप में जरूर बरकरार रखा है।

महोदय, इसके साथ ही इस विधेयक के बारे में हमारी पार्टी का यह भी कहना है कि केंद्र की सरकार को अपनी इस भूमि अर्जन पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन नीति को बनाने के लिए कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले इस पर सभी खास पहलुओं को लेकर अपनी राष्ट्रीय आम सहमित जरूर बनानी चाहिए थी। हालांकि आपने आम सहमित बनाने का प्रयास किया, यह अच्छी बात है, लेकिन उसमें अभी काफी कमी है। यदि आप इस मामले में राष्ट्रीय आम सहमित बना लेते और उसमें आप किसानों को और जो सफरर लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको भी शामिल कर लेते, उनकी भी राय ले लेते, तो में समझती हूं कि इससे यह नीति ज्यादा से ज्यादा मान्य होती है और इसका लाम दोनों पक्षों को, अर्थात् विकासकर्ता व किसान आदि, दोनों को ही मिल सकता। इन दोनों के बीच फिर कोई टकराव की स्थिति, मैं समझती हूं, नहीं होती। इसके साथ-साथ खासकर किसानों, आदिवासियों को यह कर्तई नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ कोई अन्याय किया जा रहा है, या उन्हें अपनी जमीन से जबर्दस्ती बेदखल किया जा रहा है। इसे साथ ही जिस किसी से भी जमीन ली जा रही है, उस परिवार के किसी भी पात्र व्यक्ति के लिए उसकी योग्यता के अनुसार उचित रोजगार की व्यवस्था भी वहां लगने वाले उद्योग में जरूर सुनिश्चित होनी चाहिए। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमने यह व्यवस्था अपनी नीति में की थी।

महोदय, इसके साथ ही यदि सरकार विशेष परिस्थितियों में अर्जेन्सी क्लॉज के तहत जनहित में किसी की भी प्राइवेट जमीन का अधिग्रहण करती है, तो उसके बदले में सरकार द्वारा उसे स्पेशल इन्सेंटिव पैकेज भी जरूर दिया जाना चाहिए। इस मामले में भी केंद्र की सरकार को जरूर ठीस कदम उढाने होंगे। इसके अलावा यह बात भी सर्वविदित है कि देश के जिन छोटे किसानों व आदिवासी समाज के लोगों की जमीन काफी वर्षों पहले अर्जित करके उन्हें रोजगार और जरूरी सुविधाएं दिए बिना ही पैदल कर दिया गया है, उन पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। इस बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो विधेयक आपने बनाया है, जब यह बन कर तैयार हो जाएगा और इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो जिस तारीख से इंप्लीमेंट होगा तभी से यह लागू होगा, मेरे ख्याल में माननीय मंत्री जी भी इस बारे में सहमत होंगे। में माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि हमारे देश में कुछ छोटे किसानों व आदिवासी समाज के लोगों की जमीन काफी वर्षों पहले अर्जित करके उनको रोजगार और अन्य जरूरी सुविधाएं दिए बिना ही, जो पैदल कर दिया गया था। और इस मामले में हमें आदिवासी समाज की सबसे खराब हालत छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि इन राज्यों में देखने को मिलती है। जिनकी जमीन बरसों पहले ले ली गई थी और जिनको पैदल कर दिया गया था, उनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, न उनके रोजगार के लिए, न उनके पुनर्वास के लिए। उनकी हालत तो अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। इस विधेयक में उन लोगों का कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि यह जिस तारीख से लागू होगा, जिनकी भी जमीन अधिगृहीत की जाएगी, उसी तारीख से उनका नफा-नुकसान देखा

[सुश्री मायावती]

जाएगा, लेकिन काफी बरसों से जो छोटे किसान और आदिवासी लोग हैं, जो पुरानी भूमि अधिग्रहण नीति से प्रभावित हुए, उनकी हालत आज इतनी बुरी है कि वे रोटी रोजी के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। उनके लिए रोजी-रोटी के साधन नहीं हैं। उनको आज एक वक्त भी भरपेट रोटी नहीं मिल रही है। छत्तीसगढ़ में तो और भी ज्यादा हालत खराब है, जबिक छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और सबसे ज्यादा धान वहां आदिवासी लोग ही पैदा करते हैं. लेकिन उन आदिवासी लोगों की जमीनें औने-पौने भावों में खरीदकर, और अन्य राज्यों में भी, जहां आदिवासी लोगों की बेल्ट है, उनको जंगलों से बाहर कर दिया गया है और उनको रोजगार के साधन भी नहीं दिए गए हैं। आज उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उसके बाद सरकार उनके खिलाफ ऐक्शन लेती है। मैं समझती हं कि इस मामले में उनके खिलाफ ऐक्शन लेने के बजाय उन राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के ऊपर ऐक्शन होना चाहिए, जिन्होंने उन आदिवासी लोगों को पैदल कर दिया है। अर्थात जो छोटे किसान भूमिहीन हो गए हैं, जिनकी जमीन ले ली गई है, आदिवासी लोग जिनको जंगलों से बाहर कर दिया गया है, यदि केंद्र सरकार की नीयत साफ होती, तो इस विधेयक में वह इनके लिए जरूर कोई न कोई प्रावधान करती। मैं समझती हूं कि यदि आपकी नीयत साफ होती, तो आप इसको करते। शायद माननीय मंत्री जी को यह जरूर मालूम होगा कि हमारे देश में जितनी जमीन पर खेती होती है, उसके लगभग या उससे ज्यादा, खेती करने के लिए जमीन आज भी सरकार के पास खाली पड़ी हुई है। जो लोग बरसों पहले जमीन से पैदल हो गए, जिनको कुछ नहीं दिया गया, जो गलत रास्तों पर चलने के लिए मजबूर हो गए, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि सरकार के पास खेती करने के लिए जो सरकारी खाली जमीन पड़ी हुई है, ऐसे भूमिहीन लोगों को उसमें से कम से कम तीन एकड़ जमीन देने का प्रावधान इस विधेयक में किया जाता। अगर ऐसा किया जाता तो यह उनके ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार होता और यह सब तो हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में आदिवासी लोग तो बहुत ज्यादा नहीं हैं, थोड़े से जिले हैं जो बिहार से लगे हुए हैं, वहां हमारी सरकार ने काफी ज्यादा ध्यान दिया, उत्तर प्रदेश में, समाज में जो गरीब लोग थे, खास तौर से जो वीकर सेक्शन के लोग थे, हमने किसी किसान भाई की जमीन लेकर वहां भूमिहीनों के बीच नहीं बांटी, बल्कि सरकार के पास जो खाली जमीन पडी थी, उस जमीन के एक एकड़ या तीन एकड़ के पट्टे काटकर जो भूमिहीन लोग थे, बेरोजगार थे, उनको दिए, जिससे उत्तर प्रदेश में कई लाख लोगों को वहां फायदा पहुंचा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि बरसों पहले जिन आदिवासी लोगों की, कमजोर लोगों की, छोटे किसानों की जमीन ले ली गई है, इस विधेयक में उनके लिए भी प्रावधान होना चाहिए, नहीं तो आप उनको गलत रास्ते पर जाने से किसी भी कीमत पर रोक नहीं पाएंगे। इसलिए मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूं कि अगर केंद्र की सरकार देश में गरीब, भूमिहीन, आदिवासी समाज के लोगों के हितों में इस मामले को भी इस विधेयक में शामिल कर लेती, तो बहुत अच्छी बात होती।

लेकिन आपने इस विधेयक में उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि यदि आप इनके हित में अलग से जल्द ही नई भूमि सुधार नीति ले आएं तो बेहतर होगा। यदि इस विधेयक में इसकी व्यवस्था कर ली जाती तो शायद आपको अलग से नई नीति लाने की जरूरत नहीं पड़ती। महोदय, अभी तो यह बिल पास नहीं हुआ है, इसके ऊपर आप गंभीरता से सोच-विचार कर सकते हैं। अंत में, हमारी पार्टी का यही कहना है कि केंद्र की सरकार काफी लंबे अरसे के बाद जो यह बहुत थोड़ी सी राहत देने वाला भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्ववस्थापन से संबंधित विधेयक संसद में पास करवाने के लिए लाई है, उसमें अभी और भी अधिक सुधार लाने की सख्त जरूरत है। इस संदर्भ में हमारी पार्टी ने जो भी जरूरी सुझाव दिए हैं, उनके साथ-साथ अन्य पार्टियों के द्वारा भी आपको कुछ और जरूरी सुझाव दिए जा रहे हैं, उन पर अमल करने के लिए केंद्र की सरकार को और संबंधित मंत्री को सकारात्मक नजिरए से जरूर सोच-विचार करना चाहिए, तभी सही मायने में देश के किसानों, दिलतों, आदिवासियों और अन्य भूस्वामियों को इस नए विधेयक के बनने से पूरा लाम मिल सकेगा, वरना इस विधेयक को लाने का कोई सार्थक लाम सिद्ध नहीं होगा।

महोदय, इससे पहले कि मैं इस विधेयक के बारे में अपनी पार्टी की राय स्पष्ट करूं, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से यह कहना चाहती हूं कि आपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण से संबंधित इन दोनों विधेयकों को जनहित में इसी सत्र में पास कराने के लिए इस सत्र को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाया है। लेकिन इन दोनों विधेयकों के साथ-साथ देश में एससी, एसटी वर्गों की पदोन्नित में आरक्षण को बरकरार रखने से संबंधित लाए गए संविधान संशोधन विधेयक को राज्य सभा में पास कराने का मामला भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से यह चाहती है कि इसके लिए संसद के सत्र को कुछ दिनों के लिए और बढ़ाया जाए, तािक लोक सभा में लटका हुआ यह संविधान संशोधन विधेयक जरूर विलयर हो सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी यह भी चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के समय में केंद्र की सरकार को भेजा हुआ, ओबीसी की लगभग 16 जाितयों को एससी, एसटी की सूची में शामिल किए जाने का मामला भी अभी तक यहां लटका हुआ है। इस पर भी केंद्र की सरकार को अब अंतिम निर्णय ले लेना चािहए, अर्थात् इस मामले को जरूर स्वीकार कर लेना चािहए। इन्हीं जरूरी बातों के साथ, अब मैं केंद्र की सरकार के द्वारा लाए गए इस आधे-अधूरे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वावस्थापन विधेयक, 2013 का समर्थन करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Now, Mr. P. Rajeeve.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to congratulate the Minister for coming up with a new Bill to repeal the out-dated and draconian Land Acquisition Act of 1894.

[Shri P. Rajeeve]

Sir, we expect that the legislation should be a comprehensive legislation and it should be adopted in line with democratic principle of justice and fairness but with due respect, I would like to submit that our hon. Minister, Mr. Jairam Ramesh, actually destroyed a chance to move a historic legislation, which addresses all the concerns of the farmers and the society as a whole.

Sir, this is a shift from one extreme to another extreme, that is, colonial to a neoliberal legislative framework, which is no less draconian, if not more. This is for addressing the concerns of the neo-liberal needs of the country which were stipulated after 1991.

Sir, actually the Government has taken this legislation as another gimmick for the coming elections. They are propagating several things like people will get more benefits. The urban people are waiting for passing of this Bill to give their land for construction of highways; they are waiting to give their land for construction of railways; they are waiting to give their land for construction of electric power generation projects; they are waiting to give their land for construction of metro stations and so on. But, Sir, will the people who are displaced for a national highway project get this benefit? Will the people who are displaced for a railway project get this benefit as per your new legislation? Will the people who are displaced for a metro rail project get the benefit as per this Act? Will the people who are displaced for electric power generation project get the benefit? Definitely not, Sir. As per section 106(1), that is, the exclusion clause, there is Schedule IV. That enlists 13 legislations. As per the available statistics, 90 per cent of the acquisition of land in our country is as per these 13 legislations. That means, 90 per cent of the land acquisition will not come under the purview of this Act. This is actually a gimmick. This is actually a* activity of the Government on the people of this country and this is an eyewash. Then, Sir, there is clause 106 (2). It empowers the Central Government to make any changes in Schedule IV. That means, the Executive can decide in future whether any of these provisions is applicable to cess, whether any of these provisions is applicable to any other Act. This provision gives scope for the Executive to decide what they like on the land acquisition policy. It is totally * the people. This is a * activity of the Government.

It is true that the Government came with the legislation, LARR Bill. It was sent to the Standing Committee. The Standing Committee submitted a very detailed report, but the Minister is not ready to accept the major recommendations of the Standing *Expunged as ordered by the Chiar.

Committee. It is true that there are some changes made to the former Bill and this is a new Bill. But the major recommendation was on clause 106, that is, the exclusion clause. The Standing Committee, the mini Parliament, unanimously recommended to the Government that this clause should not be there. If clauses 106(1) and 106(2) are there, then there is no relevance for this Bill. This is only for elections. If these two clauses are there, it will not be applicable to 90 per cent of the land acquisition of this country. So, we strongly demand to delete these two clauses from this Bill. It is true that a new clause is there in the new Bill, that is, clause 106(3). That is actually a very clever exercise by the Minister to create a feeling. Yes, it accommodates some of your feelings. That is why he is very clever and very dynamic. It says, 'any of the provisions of this Act'. Why this 'any'? If you want to be genuine, if you are honest, you substitute this clause 106(3). The Government should amend all the existing Acts in the Schedule IV in accordance with this new legislation. Why are you not ready for that? You are creating an atmosphere that you are trying to address the concern, you are accommodating the feelings of all sections, you are adopting this new clause 106 (3). They can adopt any of the provisions. That is actually not a good activity, not an honest approach by the Minister. It is a very professional approach of a dynamic Minister. That is not the right way, Sir. Actually, he also tried to create an atmosphere that he is accommodating most of the submissions made by the CPI (M). That is not true. You are trying to create an atmosphere, but most of our significant suggestions which are related to the exclusion clause, issue of proper definition of 'public purpose' and 'affected persons', binding nature of social impact assessment, land use plan, land use commission, provisions for safeguarding food security, enhanced compensation, fair and just rehabilitation and resettlement, prior informed consent and role of Panchayats as well as Grame Panchayats have been disregarded.

Sir, I would like to quote from the speech of H.W. Bliss who steered the Bill in 1894.

"The Bill will not be used in furtherance of private speculations and that the Local Governments should not be subject to pressure, which it might possibly sometimes be difficult to resist, on behalf of enterprises in which the public have no direct interest.."

He stated that it was not the intention of the legislature that the Government should be made a property agent for companies to acquire land. This is 1894 speech by H.W. Bliss.

[Shri P. Rajeeve]

This is the first time in the world that a Government is ready to acquire land for corporates. Have you heard anywhere in the world Government acquiring land for corporates? Have you heard the Government of United States acquiring land for corporates? Is there any country in the European Union which does that? This is for the first time in the world that a Government is acquiring land for corporates and creating an atmosphere for corporates.

Sir, I have to make some suggestions on this Bill. We have already made several amendments to the existing Bill. One is relating to the definition of 'public purpose and infrastructure.' The Standing Committee gave a very detailed recommendation on this vague nature of the definition. Some changes have been made by the Minister in its definition. But still this definition of 'public purpose and infrastructure' is vague. It leaves scope for subjective interpretation of the Executive. They can implement this public purpose for any activities of the corporates and private enterprises. We demand that public purpose must be exhaustively and tightly defined, objectively determined, collectively approved, justiciable and strictly construed, limited to activities which are of direct benefit to the largest number of people and does not include the furtherance of private speculation and profit. This definition should be changed. It is very vague. It should be strict to this formulation.

Earlier the definition of 'infrastructure' was very vague and now some changes have been made as per the recommendations of the Standing Committee. (Time-bell) Sir, you are pressing the time-bell only now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Rajeeve, your Party has one more speaker. Your Party Leader, Mr. Yechury, will be speaking. You will have to conclude. ... (Interruptions)... Your Party Leader, Mr. Yechury, will be speaking. So, be brief and conclude. ... (Interruptions)... Leave some time for him.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, you have taken one minute from my time. The Chair should be fair to all speakers. You forgot to press the time-bell for some time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I am doing it to only let you know that your Party Leader will be speaking. ... (Interruptions)... So, you have to leave some time for him.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, the Chair has taken one minute from my time.

Sir, then there is urgency provision. That is another way for making vague interpretation and our demand is that special powers in cases of urgency should not

be invoked for private companies and be restricted to national defence, and all other processes to seek consent, hear objections and undertake Social Impact Assessment. After passing the Bill in the Lok Sabha, the Minister came up with three or four amendments. That means it is trying to further dilute the objectives of the Bill.

For irrigation projects, land should be given to the displaced persons. As per new amendment land or compensation. That means *de facto* compensation will be practical. It should be only land. Compensation for displaced persons for irrigation projects is a dilution. I don't know what the compulsion was. I do not know after passing it in the Lok Sabha, the Minister came up with this amendment to please whom. What was the compulsion? There is a very famous phrase of the Prime Minister called 'coalition compulsion.' That is against the interest of the country.

Sir, social impact assessment study must be binding and should not be overruled. There should be some distinction between acquisition for PSUs and the Government and acquisition for private and PPP projects. The law prevailing in the Scheduled Areas should prevail over the proposed legislation. The Government proposal seems to indicate that rain-fed, dry-land and semi-arid land are unproductive and their acquisition does not affect food security. We did not believe that. It should be protected under this. SC, ST, small and marginal farmers should receive land for land. Tenants will not get compensation as per the definition. Tenants will only get the R&R package. But, they are working. Land distribution has not been implemented in major parts of the country. Tenants are the sufferers in the country. They are actually working in the land. Compensation should be given to tenants.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude now.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, there should be no bar on jurisdiction of civil courts as this violates the principles of natural justice. I hope the Minister will actually take these points seriously and make proper amendments to the legislation. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Now, Shri Derek O'Brien.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, the expression 'Ides of March' has come down to us from William Shakespeare in Julius Caesar. But for me, Sir, the 'Ides of March' is actually March 14, one day before March 15, 2007 because as a metaphor for a ruling order that had decayed beyond redemption and began to treat its citizens as subjects – in fact, began to treat its citizens like slaves

[Shri Derek O'Brien]

just like the Roman Generals would take them captive. Sir, of course, my reference to March 14, 2007 is to the firing on innocent householders and farmers in Nandigram. ...(Interruptions)... A massacre that shook the conscience of our State. ...(Interruptions)...

SHRI T. K. RANGARAJAN(Tamil Nadu): Sir, we need your protection. ... (Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I did not disturb anybody. ... (Interruptions)... Sir, I did not take up anybody's time. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please continue. ... (Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I am talking about the biggest land movement in this country. ... (Interruptions)... What do you mean? You cannot stop me. We are discussing the Land Bill. It is the biggest land movement ever in the country. Let me finish. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Let him speak. ... (Interruptions)... You will have your time. ... (Interruptions)... Let him have his say. ... (Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I was talking about Caesar, but they are also the Communist Caesars of Bengal. So, what to do? ...(Interruptions)... Sir, this was the most brutal and dramatic evidence that the land acquisition system in our country, at that time, from 1894, has been rotten. It needed to be rescued from self-serving brokers and agents such as those who live in the headquarters on Alimuddin Street in Kolkata. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: Sir, this is not required. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please restrict to the merits and demerits of the Bill. ... (Interruptions)... Please, please. ... (Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, my time may be as it is.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You have your time, but please restrict yourself. ... (Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Please don't give me advice on what to say. Let me speak. ... (Interruptions)... March 14 was the day when our existing land acquisition model became not just untenable, but it also became a curse. That was the day, our

leader, Mamatadi of Trinamool Congress, who was in the forefront of a three-decade struggle, resolved to go on a 26-day hunger strike to protest against the rape of a young girl in Singur and for so many people who died in these movements by bullets sponsored by the same people who are making so much of a noise today. The Bill which we are debating today is a small step towards securing justice for the victims of the terror in Nandigram. Before I speak further, I would like to salute those... (Interruptions)... Sir, the same people who are standing up today have converted the land grab into a pseudo scientific practice. The Trinamool Congress Party was the first party to articulate a policy for land acquisition. In 2006 (Interruptions)... What is this, Sir?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please listen.

SHRI DEREK O'BRIEN: I understand, Sir, sometimes the truth hurts. Let me finish my speech. Because the Trinamool Congress Party saw the absence of a well-defined modern land mechanism. That is why, Sir, the issue here is not just about who should buy the land, whether the State should buy, or, whether the industry should buy. There is a broader context to it; and there are three parts of this broader context. (a) Protecting farmers' rights; (b) concerns of food security; (c) finding that talent between agriculture and industry to flower together.

Sir, the Trinamool Congress Party's policy is based on what is known as the doctrine of eminent domain. What is the doctrine of eminent domain? When the State recognises the private party, the private owner becomes the absolute title holder of that property. The State still remains prior bound holder of that property. That is why we understand and appreciate that a piece of land for any public purpose, be it a bridge or whatever can be acquired by the State. The Minister from 2009 ran the marathon but somehow we feel strongly stopped half way through because in this Bill we have some serious issues, and I will just touch three or four very serious issues. First, no forcible acquisition of land at any cost. No, no, no. Second, you are talking about 80 per cent farming families who have agreed, 70 per cent for public purpose who have agreed, our view on this is the same just as what it was right through the land movement, no 80:20, no 70:30, it is 100. Someone has to speak up in front of the farmer. There are lots of people who are making speeches here about how good this Bill is, how it could be improved. This is the very basic issue that we have, 80:20 no, 70:30 no, it has to be 100:0. No multi-crop land, because multi-crop land is an asset.

Sir, when they are talking about acquiring the land, industry, of course, needs to acquire land. Industry acquires labour. Industry acquires products. Industry acquires

[Shri Derek O'Brien]

6.00 р.м.

other inputs. In none of these acquired by the industry, does the Government interfere. So, why does the Government need to interfere for the purchase of this land? Now, I know, when I say this, that there will be concerns whether farmers have necessary skills. Do farmers have necessary skills to negotiate directly with corporate buyers, or, with the Government? We believe, Sir, they do with little help, with little guidance. Of course, they do. Overall we believe, we should trust the sagacity of the Indian farmer. He knows what the best is for him. He knows what the best for India is. In all humility, Sir, the Trinamool Congress Party knows what the best is for the Indian farmer. We will not compromise on this. We also know how to strike a balance between the industry and agriculture. Not one at the cost of the other.

This Bill, overall, is better than what it was for the farmer three, four and five years ago. But this Bill is not good for the farmer. This Bill is not good for the conscience of the industry. This Bill is not good for the nation. We do not support this Bill. We have made a speech. Our button also will reflect that after we finish this debate. Thank you, Sir. I have finished my speech on time because our second speaker is one of the most qualified eminent people from the world of land reforms, Mr. D. Bandyopadhyay. I have also noticed that there are many people here who will come and speak on a variety of subjects. I am also looking forward to someone else here in the front Benches who will speak on the same subject on land reforms. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Next speaker is Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, Shri D. Bandyopadhyay has contributed to the drafting of the Bill.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : थेंक्यू श्रीमन्। श्रीमन्, इस विधेयक का माननीय मंत्री जी ने जो नाम रखा है, वह इतना बड़ा है कि इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। माननीय मंत्री जी, मैं यह कह रहा हूं कि आपने इस विधेयक का जो नाम रखा है, वह बहुत बड़ा है। अगर इसका नाम केवल भूमि अधिग्रहण विधेयक रखते तो ज्यादा अच्छा था। इसके नाम को कभी कोई पूरा याद नहीं रख सकेगा।

इस देश का यह दुर्भाग्य है कि जब-जब कानून आते हैं, तो ऐसे कानून आते हैं कि सामान्य व्यक्ति उसको ठीक तरीके से समझ भी नहीं सकता। इंटरप्रेटेशन के लिए उसको किसी न किसी वकील की जरूरत होती है और इसमें भी वही जरूरत पड़ेगी। यह विधेयक तमाम तरह की मुकदमेबाजी के लिए दरवाजे खोलेगा। यह इतना बड़ा विधेयक है, इसकी इतनी धाराएं हैं, इतनी धाराएं तो अमरीका के पूरे संविधान में भी नहीं हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन तो कर ही रहा हूं, लेकिन मेरी कुछ शंकाएं हैं, साथ ही कुछ सुझाव भी हैं।

अभी तक हमेशा यह होता आया है कि विभिन्न सरकारों ने, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उन्होंने हमेशा बहुत उपजाऊ और शहरों के नजदीक की जमीन का अधिग्रहण ही बड़े पैमाने पर किया है। सड़कों और नहरों वगैरह की बात छोड़ दी जाए, क्योंकि वह तो अलग बात है, उसको तो इधर-उधर से जाना ही पड़ेगा। अन्यथा जो उपजाऊ जमीनें हैं, सिंचित जमीनें हैं, जिन पर दो-दो, तीन-तीन फसलें होती हैं, उसी तरह की जमीन का हमेशा अधिग्रहण किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस देश में जो खेती योग्य जमीन है, उसमें कुछ परसेंट कमी आई है।

उसको पूरा करने के लिए मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं। अभी भी देश में बड़े पैमाने पर बंजर जमीन पड़ी हुई है, या फिर जो रेवाइन्स की जमीन है, उनको एक सार करके वहां पर आप कुछ डेवलपमेंट वर्क कर सकते हैं। ऐसी जमीन को आप अधिगृहीत कर सकते हैं और उसको प्रयोग में ला सकते हैं। आप उस जमीन को खेती योग्य भी बना सकते हैं। ऐसा करके, जो जमीन कम हो रही है, आप उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। उसको कम्पन्सेट कर सकते हैं।

मेरा दूसरा सुझाव है, किसान की जमीन अनन्तकाल तक उसको रोजी-रोटी देने का काम करती है। अधिग्रहण करने के बाद आप उसको जो मुआवजा देते हैं, उसको वह साल या दो साल में खा-पीकर बराबर कर देता है। अगर किसी किसान के बच्चे ठीक हैं, तब तो ठीक है, लेकिन अगर वे लफंगे किस्म के हुए, तब तो वे दारू पी कर, जुआ खेल कर एक-आध साल में ही उस पैसे को बर्बाद करके पूरा कर देते हैं और फिर मजदूर हो जाते हैं। जिन किसानों की जमीन ली जाए, स्थायी तौर पर उनके पुनर्वास के लिए, उनको रीहैबिलिटेट करने के लिए उनको रोजी देने का काम भी होना चाहिए। चाहे नौकरी के रूप में अथवा किसी अन्य तरीके से उनकी कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। आप जो टैम्परेरी कम्पन्सेशन दे देते हैं, उससे किसान का कुछ लाभ होने वाला नहीं होता।

आपने अपने विधेयक में ग्रामीण क्षेत्र में बाजार भाव का चार गुना कम्पन्सेशन देने की बात की है और शहरी क्षेत्र में दो गुना कम्पन्सेशन देने की बात की है। इसमें यह चीज स्पष्ट नहीं है कि बाजार भाव आप कैसे तय करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मिजस्ट्रेट जो सर्कल रेट तय करता है, आपको अच्छी तरह ज्ञात होगा और आप जानते हैं कि बाजार भाव उस सर्कल रेट से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन, जब कम्पन्सेशन देने का मामला आता है, तब बाजार भाव सर्कल रेट ही माना जाता है। मैंने देखा है कि नोएडा में सड़क के इस पार जमीन की कीमत एक लाख, दो लाख या तीन लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर है और सड़क के उस पार चार हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है, क्योंकि सर्कल रेट 4 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है। वहां मार्केट रेट एक लाख दो लाख या तीन लाख रुपये वर्ग मीटर है और सर्कल रेट चार हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इस सर्कल रेट को ही बाजार भाव माना जाएगा, फिर भी किसान घाटे में रहेगा, वह आज भी रहता है। हमारे बगल में

[प्रो. राम गोपाल यादव]

रोज आंदोलन चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, चाहे वह हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो। तो इसमें आपने स्पष्ट नहीं किया है कि मार्केट रेट क्या होगा। क्या सर्कल रेट को ही मार्केट रेट माना जाएगा? अगर यह होगा, तो किसान का कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको तो नुकसान होता ही है और जो यह व्यवस्था की है कि अगर दाम बढ़ जाते हैं और पांच साल से पहले उसे लेने वाला या अधिग्रहण करने वाला उसको बेच देता है, तो उसका 40 परसेंट उसको दिया जाएगा। आपको मालुम है कि अभी जो व्यक्ति 10 हजार रूपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन लेता है या जिसको वह अलॉट हो जाती है, वह बिना एक पैसा खर्च किए 50 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के रेट पर अगले दिन उसे बेच देता है। आप पांच साल की बात कर रहे हैं और उसे 40 परसेंट देने की बात कर रहे हैं। यह कौन स्वीकार कर लेगा कि उसने 50 हजार रुपए के रेट से बेचा है? तो ये ऐसी चीजें हैं, ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। में आपकी इन धाराओं पर नहीं जा रहा हूं, मैं जानता हूं कि मुकदमें बाजी होगी। हिंदुस्तान का संविधान दुनिया का सबसे बेहतर संविधान बना था। But it proved to be the heaven for the lawyers, यह सारी दुनिया जानती है, एक ही चीज की व्याख्या तरह-तरह से करने के लिए। जेटली साहब अभी बैठे हुए नहीं हैं, सतीश मिश्रा जी बैठे हुए हैं। एक चीज पर एक बात कहेंगे, वह बिल्कुल सही लगेगी, लगेगा कि वे सही कह रहे हैं, फिर बाद में इसका दूसरा पक्ष कहेंगे कि नहीं, यह सही है, तो वह सही है। ऐसा हुआ है। संविधान में कितनी बार संशोधन करना पड़ा। आगे चलकर आपको इस विधेयक में भी संशोधन करना पड़ेगा, इसमें इतनी मुकदमेबाजी होगी।...(व्यवधान)...इतनी जल्दी में, इतनी हड़बड़ी में आप थे कि लोक सभा में पारित होने के बाद राज्य सभा में आने तक आपको तीन ऑफिशियल अमेंडमेंटस और लाने पड़े। मैं यह बात कह रहा था।

में एक चीज और कहना चाहता हूं कि इसमें दिक्कतें भी बहुत आएंगी। यह आपका बड़ा पोपुलिस्ट कदम है। नेशनल हाईवेज को छोड़ दीजिए। अगर डिस्ट्रिक्ट रोड बननी है या जो पी.एम.जी.एस.वाई. (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) है, इसके लिए आप कोई कम्पन्सेशन तो देते नहीं हैं। इस ऐक्ट के लागू होने के बाद इसका क्या होगा? यह योजना चलेगी या नहीं चलेगी? महात्मा गांधी नरेगा है, इसके अंतर्गत तमाम काम होते हैं, जिसमें जमीन काम आती है। इसमें कोई कम्पन्शेसन आप नहीं देते हैं। लेकिन, इसके बाद जब कम्पन्सेशन की व्यवस्था हो जाएगी, तो आपको कोई काम करने नहीं देगा, कहेगा आप कम्पन्सेशन दीजिए। तो इन योजनाओं का क्या होगा, क्या आपने यह सोचा है? क्या आपने सोच लिया है? नहीं सोचा है। 100 में से 79 व्यक्ति कहते हैं कि हां, ठीक है, हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 21 परसेंट लोग कहते हैं कि हम तैयार नहीं हैं, तो आप इसे नहीं कर सकते।

ये व्यावहारिक दिक्कतें भी हैं। ये बहुत जबर्दस्त व्यावहारिक दिक्कतें हैं। एक आशंका यह है कि इससे तमाम डेवलपमेंट वर्क भी रुक सकते हैं। लोगों के मन में ये आशंकाएं हैं। जब आप जमीन अधिग्रहण करने के लिए गांव में पंचायत करने जाएंगे, तो तमाम नए किस्म के मू-माफिया पैदा हो जाएंगे। किसी तरह से किसानों की सहमति लेने के लिए उनका सहारा सरकारी अधिकारियों तक को लेना पड़ेगा। यह करना पड़ेगा। इतना बड़ा संकट आने वाला है। एक तरफ इसकी अच्छाइयां हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसकी जितनी अच्छाइयां हैं, उतनी बुराइयां भी हैं। इसका दूसरा पहलू भी है।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

तमाम उद्योगपतियों, उद्योग-धंधे वाले व्यक्तियों या जो छोटा-मोटा काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन सबको यह संदेह है कि वे काम नहीं कर पाएंगे। यह स्थिति होने वाली है। उससे निपटने के लिए आप क्या काम करने जा रहे हैं? अतीत में भी कई जगह मैंने देखा है, जब रामगंगा पर कालागढ़ में बिजनीर में डैम बन रहा था, तो मैंने देखा कि लोग इस पार से उस पार निकल गए, क्योंकि रामगंगा में पानी नहीं था। उसके बाद कई किलोमीटर में उसका कैचमेंट एरिया हो गया, जिसके कारण तमाम लोग विस्थापित हो गए। टिहरी को हमने देखा ही। टिहरी के महल को डूबते हुए देखा है। अभी तक सारे लोगों का पुनर्वास नहीं हो सका है। नर्मदा पर जो सरदार सरोवर डैम बन रहा है, उसके लिए न जाने कितने दिनों तक आंदोलन चला। वहां से विस्थापित लोगों को आज तक रीहैबिलिटेट नहीं किया जा सका। देश में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण अभी तक जितने लोग विस्थापित हुए हैं, उनमें से कितने परसेंट लोगों को रीहेबिलिटेट किया गया है और कितने परसेंट लोगों को रीहैबिलिटेट नहीं किया जा सका है? रीहैबिलिटेशन की जो समस्या है, वह बहुत बड़ी है। आपने कानून में नाम तो जोड़ दिया है, लेकिन उनको वास्तव में रीहैबिलिटेट करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप एक डाइनैमिक मिनिस्टर हैं, यह बता ही रहे थे, सारे लोग जानते हैं, मैं आपको पसंद भी बहुत करता हूं। क्लेवर शब्द का प्रयोग कर रहे थे, हम न क्लेवर कहना चाहेंगे और न ही दूसरे तरह का शब्द का प्रयोग करना चाहेंगे, आप एक अच्छे आदमी हैं। क्लेवर हैं, आप एक विद्वान आदमी हैं, आप सही हैं, लेकिन परिस्थितियोंवश या चुनाव नजदीक आने के कारण आपने इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराने की कोशिश की है। यह आज तो पारित हो ही जाएगा, लेकिन जो बनाया गया है, उससे बहुत सारे संकट देश के सामने आने वाले हैं। अगर चुनाव के बाद आप सत्ता में न आ पाए, जो लोग सत्ता में आएंगे, उनको इन संकटों को झेलना पड़ेगा। आपने इसमें कितने दिनों के लिए किया हुआ है?...(समय की घंटी)...। सर, में आधा मिनट भी नहीं लुंगा। हमारी मुख्य बात यह है कि भूसर, बंजर जमीन में लोगों को बसाइए, वहां इंडस्ट्री लगवाइए, ताकि गांव वालों को इससे रोजी-रोटी भी मिले । इसको शहर से हटाइए, शहर से थोड़ा दूर कीजिए। उस जमीन को खेती लायक बनाइए, जितनी जमीन आप लें, उतनी जमीन खेती लायक बनाने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से जन संख्या बढ़ रही है, अगर खेती सिकुड़ती जाएगी, तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि हमें खाने के लिए अन्न बाहर से मंगाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए भूसर, बंजर ravines को ठीक कराइए, बैरन लैंड को खेती योग्य बनाने की कोशिश कीजिए। उसको अधिगृहीत करने की कोशिश कीजिए। हमने बाजार भार एवं भू-माफिया पैदा होने की जा शंकाएं व्यक्त की हैं, 80 परसेंट और 70 परसेंट को लेकर जो दिक्कतें आपके सामने आएंगी, आपके तमाम प्रोजेक्टस बन नहीं पाएंगे, मनरेगा, पीएमजीएसवाई पर तथा इन तमताम चीजों पर संकट पैदा होगा, इनके लिए आपके दिमाग में क्या योजना है? जब आप वोट से पहले जवाब दें, तो आप इसको भी स्पष्ट करने की कोशिश कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री के. सी. त्यागी (बिहार) : उपसभापति महोदय, आपके आने से पहले एक बार भी घंटी नहीं बजी थी। जितने भी वक्ता थे, सब आराम से अपनी बात कह गए और घंटी की जरूरत नहीं पड़ी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, you will not be able to pass it even by midnight.

श्री के. सी. त्यागी: सर, सबसे पहले में पश्चिमी बंगाल से लेकर भट्टा परसौल और टप्पल के किसानों को आज इस सदन में अपनी श्रद्धांजिल देना चाहता हूं, जिनकी शहादत की वजह से आज यह दिन आया कि मंत्री महोदय को यह बिल लाना पड़ा। इसके लिए कई किसानों की जानें गई। मैं अगर यहां मनवीर तेवतिया नाम के एक किसान नेता का जिक्र न करूं, तो बेइंसाफी होगी। उसने इसी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लागू कराने के लिए 23 किसानों के साथ 23 महीने तक जेल काटी। इसलिए में मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने निजी रुचि लेकर इस बिल को लाने का प्रयास किया। लेकिन सर, यह बिल इस जमाने में आ रहा है जब रूरल इंडिया की और किसानों की हालत बहुत खराब है। मैं नेशनल क्राइम ब्यूरो, जहां आत्महत्या के सारे मुकदमें दर्ज होते हैं, उसके आंकड़ों का जिक्र करना चाहता हूं कि वर्ष 2005 से लेकर 2011 के बीच 2,90,740 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आप कहते हैं कि किसान अन्नदाता हैं, हम भी यह मानते हैं, लेकिन इसी देश में 60-65 सालों में किसानों की यह हालत हो गई, जो समूचे देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी भूखे लोगों को अनाज भिजवा रहा है। अगर मेरी जानकारी को आनंद शर्मा जी करेक्ट कर दें, तो इस समय हिंदुस्तान गेहूं के मामले में दूसरे नंबर पर और चावल के मामले में पांचवें नम्बर पर दुनिया के कृषि उत्पादन करके बाहर भेजने वाले मुल्कों में शामिल हैं। उसके बाद भी इस देश के अंदर इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि जो जमीन के मालिक हैं, जो देश के मालिक हैं, उनकी इतनी ऊंचे पैमाने पर आत्महत्याएं हुई हैं।

सर, इस बिल के आने से कई साथियों को इस बात की परेशानी भी है कि इससे निजी उद्योग क्षेत्र में कई तरह की दिक्कतें आएंगी। जब इतने लंबे समय से किसानों की लूट हो रही थी, तो मैंने किसी समाचारपत्र, खास तौर से अंग्रेजी के समाचारपत्र में यह नहीं पढ़ा that they are being looted. They are being harassed. ऐसी-ऐसी ज्यादितयां हुई हैं, जिनका मैं जिक्र करूंगा, तो फेंहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जनपद गाजियाबाद से आता हूं। वहां पर प्राधिकरण ने 500 रुपये से लकर 700 रुपये तक प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन ली। उसने वह जमीन सरकारी कामकाज के लिए नहीं ली, बिल्क पूंजीपितयों के लिए ली। उसी जमीन को दो महीने के बाद उन पूंजीपितयों ने उस पर चार खंभे गाड़कर, चार ईटें लगाकर और दो सड़कें बनाकर 25000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर पर किसानों को बेच दिया। तब किसी मैगजीन ने, किसी निजी क्षेत्र या किसी उद्योग क्षेत्र के आदमी ने यह सवाल नहीं उठाया कि किसानों का क्या हो रहा है।

सर, आज गांव की हालत बहुत खराब है। शहरी उद्योग क्षेत्र में उद्योग जगत 10 लाख करोड़ से अधिक कैश रिजर्व दबा कर बैटा हुआ है, लेकिन किसानों के लिए जरा-सी भी राहत होने लगे, तो इस पर वर्चा होने लगती है। अभी पिछले हफ्ते जो फूड बिल आया था, उस पर मैंने दर्जनों संपादकीय पढ़े। उससे एक तबका बड़ा परेशान है कि इन गरीब लोगों को सब्सिडी दी जा रही है और इनके कृषि-कर्जे को माफ कर दिया गया है। 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा तो आप देश के पूंजीपतियों को भी दे चुके हैं, उसके लिए तो कभी hue and cry नहीं होती। जब असली भारत के लिए, गांव के लोगों के लिए कोई चीज पैदा होती है, तब तरह-तरह की बातें होने लगती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का यह दावा है कि हिंदुस्तान की 22 परसेंट आबादी कुपोषण की शिकार है। अगर हम यूनिसेफ के आंकड़ों को मानें, तो कम

वजन के बच्चों में ऐसे 42 परसेंट भारतीय बच्चे हैं, जिनके वजन कम हैं और जिन्हें कुपोषण है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे 42 परसेंट बच्चें हैं, जिनका सिर चमकता है, घुटने चमकते हैं और जिनके जिस्म पर गोश्त नहीं होता।

सर, पिछले दिनों मुझे कृषि मूल्य आयोग से कुछ कागज मंगाने पड़ गए। शरद पवार जी होते तो में उनसे कहना चाहता था, मुझे बहुत वेदना हुई कि जो कृषि मूल्य लागत आयोग है, उसमें एक भी किसान नहीं है। जो हैं उनकी विद्वता पर में शंका नहीं करना चाहता, आई.ए.एस. हैं, आई.एफ.एस. हैं, आई.आर.एस. हैं, आई.ई.एस. हैं, पता नहीं कितने बड़े-बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं सब को सेल्यूट करना चाहता हूं। लेकिन क्या कपास के इलाके का एक भी किसान है, गेहूं पैदा करने वाला एक भी किसान है, गन्ना पैदा करने वाला पंजाब, हरियाणा का एक भी किसान कृषि मूल्य आयोग में है? नहीं। उपसभापति महोदय, आपकी जानकारी के लिए हिंदुस्तान का एक जिला है बिहार के अंदर, और मैं ऑन रिकार्ड कहना चाहता हूं, वहां के उस किसान को दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा पर-विंवटल आलू पैदा करने का इनाम मिला है। उसी किसान को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति एकड़ चावल पैदा करने का पुरस्कार मिला है, लेकिन कोई इंसेंटिव नहीं। 63 सालों में हम एक किसान को ज्यादा अनाज पैदा करने के एवज में पदमश्री नहीं दे सके। नाचने वाले, गाने वाले, दुमके लगाने वाले हर क्षेत्र के आदमी को हम दे रहे हैं। लेकिन भारत का यह अकेला क्षेत्र है, जो धरती मां का सीना चीर करके दौलत पैदा करके यहां भी अनाज देता है और बाहर भी अनाज देता है, उस किसान को आज तक एक पद्मश्री इस देश में नहीं मिली। कैसा देश है यह, किस के लिए बना है? यह गांधी का तो नहीं है। किसी का भी हो, लेकिन महात्मा गांधी का नही है। सर, इसी कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश है, और मैं उधर बैठे हुए मेरे बाएं बाजू में बैठे हुए जो लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूं और इसी संसद में दिया गया बयान है, 2011-12 के बीच में धान की प्रति विंवटल उत्पादन लागत 146 रुपए बढ़ी थी, जबकि सरकार ने न्युनतम समर्थन मुल्य सिर्फ 80 रुपए बढ़ाया। आप लोग अपने बनाए हुए कानून को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं आप लोग। 2012-13 में गेहूं की पैदावार लागत 171 रुपए प्रति क्विंटल थी और आपने समर्थन मृल्य 65 रुपए बढ़ाया। किसी भी किसान को समर्थन मृल्य नहीं मिलता, लागत मूल्य नहीं मिलता। हमारे कृषक परिवारों के जो साथी सांसद यहां पर बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि कैसे हमारा गेहूं, कैसे हमारा चावल और कैसे हमारा गृड़ बिकता है। किसान मंडी में लेकर जाता है, चार आढ़ती आते हैं और कहते हैं कि हां, चौधरी साहब, सौ रुपए क्विंटल देना है। किसान वापस तो लेकर जाएगा नहीं, अकेला किसान है। मायावती जी कह रही थीं, वे इस समय यहां नहीं हैं, देश में किसन की जो बूरी हालत है, अकेला किसान है जो श्रम के उत्पादन के लिए खुद बोली नहीं लगा सकता। गेहूं किस भाव जाएगा? किसान तय नहीं करेगा। बाल काटने वाला तय करेगा कि बाल काटने की क्या कीमत है। दर्जी तय करेगा कि उसकी सिलाई की क्या कीमत है। पॉलिश करने वाला भी स्वयं तय करेगा, लेकिन अभागा किसान तय नहीं करेगा कि उसकी फसल की क्या कीमत है। यह हिंदुस्तान बनाया हमने 60 साल में। सर, किसी भी उत्पाद का दाम इस तरह से पैदा नहीं होता। अब में एक और चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करके मुख्य मुद्दे पर आना चाहता हूं। सर, इस समय आलू 50 रुपए किलो है, जबकि चार रुपए किलो के हिसाब से किसान से लिया जाता है, four rupees a kilo from a peasant at the time of the arrival of [श्री के. सी. त्यागी]

the crop. आपको पता है कि एक किलो आलू से जो विप्स बनते हैं, वे 260 रुपए किलो बिकते हैं। जो आलू आप किसान से 4 रुपए किलो लेते हो, उसी के विप्स सिर्फ नमक मिलाकर 260 रुपए किलो बेचते हो, जो कॉर्न हैं, जिसे मक्का बोलते हैं, अमेरिका में आदमी उसे नहीं खाते लेकिन हम खाते हैं, इसलिए आपसे बता रहे हैं। आप 12 रुपए किलो मक्का किसान से ले रहे हो और आपका नमक वाला पॉपकॉर्न 600 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता है। किस का हिंदुस्तान बना रहे हो? इसीलिए महात्मा गांधी ने और बड़े नेताओं ने कुर्बानी दी थी, जो स्वराज का सपना था। यह स्वराज हमारा नहीं है, यह स्वराज उन लोगों का है जिन पर आपके 5 लाख करोड़ रुपए मुफ्त में बंटे हुए हैं, यह हमारा हिंदुस्तान नहीं है। हमारा हिंदुस्तान होता तो इस लूट में किसान का भी कुछ हिस्सा होता, जो नहीं है।

सर, मक्का 12 रुपए किलो के हिसाब से मंडी में किसान से ली गई और उससे 475 ग्राम कॉर्नफ्लैक 143 रुपए के हिसाब से बेचा गया। यह दाम आनंद शर्मा जी के विभाग का है। पॉपकॉर्न 600 रुपए केजी है, जो कि 12 रुपए केजी के भाव से किसान से लिया जाता है। उसको भड़भूंजे की रेत में डाल दो, थोड़ा-सा नमक लगा दो वह 600 रुपए केजी है। सर, इतना जुल्म, ज्यादती दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हो रही है। अभी मायावती जी कह कर गई हैं, बहुत दिनों तक यह अन्याय और गैर-बराबरी नहीं चलेगी। आज गरीब और अमीर के बीच का फर्क आपने ज्यादा कर दिया है। आज एक आदमी के पास पेट भरने के लिए पैसा नहीं है, एक आदमी की झुगगी में विराग के अंदर न बाती है और न तेल है और कुछ महलों में 24 घंटे उजाला चमक रहा है। उसे गरीब बेबसी व लाचारी से देख रहा है। हम किसी के महल की रोशनी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तय यह हुआ था कि गरीब की झुग्गी का विराग भी जलता रहेगा। सर, मैं यह कह देना चाहता हूं कि जिस दिन गरीब की झुग्गी का विराग बुझा दिया, उस दिन बड़े-बड़े शहरों की बड़ी-बड़ी इमारतों की लाइट भी नहीं जलेगी।

श्री उपसभापति : त्यागी जी, मैं बैल नहीं बजा रहा हूं, लेकिन आपकी पार्टी का सिर्फ एक मिनट बाकी है, इसलिए समाप्त कीजिए।

श्री के. सी. त्यागी: सर, मैं अपनी पार्टी की तरफ से अकेला वक्ता हूं। मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं मंत्री महोदय के लिए हिंदुस्तान के जितने भी संघर्षरत किसान संगठन हैं...(व्यवधान)...

श्री रिव शंकर प्रसाद (बिहार) : आज त्यागी जी में लोहिया जी की आत्मा दिखाई दे रही है।

श्री के. सी. त्यागी: आप मैं दीन दयाल जी की आ जाए तो देश का कल्याण हो जाए, लेकिन आप में किसी और की आत्मा आ गई है।

सर, डा. मेधा पाटेकर से लेकिन जितने भी किसान संगठन मंत्री जी से मिलते होंगे, उनका यह प्रतिवेदन है। मैं इससे सहमित इसलिए नहीं रखता क्योंकि काफी चीजों का उसमें समावेश हुआ है, लेकिन गरीब लोगों का जो विस्थापन हुआ है, उसकी संख्या उन्होंने पिछले 50 वर्षों में लगभग 10 करोड़ बताई है। डा. मेधा पाटेकर से लेकर डा. सुनीलम तक समूचे देश में आदिवासियों की लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि देश के अंदर 67 ऐसे जिले हैं, जहां रात में न तो आपका राज चलता है और न पुलिस का चलता है, वहां राज नक्सलवादियों

का चलता है। यह आपके 63 साल के आर्थिक नियोजन और उनके पुनर्व्यवस्थापन न होने का नतीजा है। आपने ऐसा हिंदुस्तान बनाया है कि लातेहार में एसपी काम नहीं करता, लाल झंडे वालों का दरोगा काम करता है। इसलिए उपसभापति जी, मैं अब अपनी मेन बात पर आता हूं। मैंने आपको कुछ सुझाव दिए हैं। साथ ही मैं आपके इस बिल को टोटल समर्थन देता हूं और मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे मंत्री और इंसान भी हैं, लेकिन आप इस बिल में हमारी 3-4 चीजों का समावेश करें वरना हमारी आप से इस बात को लेकर तकरार होगी। नंबर एक, कलैक्टर को आपने धारा 20 के तहत जो अधिकार मूल्य निर्धारण करने का दिया है। यहां कई आईएएस बैठे हुए हैं, में उनकी शान में कोई खराब बात नहीं कहना चाहता, वे आजकल किस तरह से काम कर रहे हैं, मुझ से ज्यादा आपको जानकारी होगी। इसलिए कलैक्टर के हाथ में भूमि अधिग्रहण के पैसे तय करने का अधिकार दे दिया तो एक्सप्रेस वे का मालिक उसे तय करेगा। इसलिए आप पंजाब जैसा मैकेनिज्म बनाइए। वहां का लोकल एमपी, एमएलए, ग्राम प्रधान उस में है और एमपी, एमएलए से ज्यादा ईमानदार और कोई नहीं होता। वह अपने मतदाताओं के प्रति बेइंसाफी नहीं होने देगा। उपसभापित जी, शहरों में नगर निगम व नगरपालिकाएं हैं, उनके अंदर आने वाली जो कृषि योग्य जमीन है, उसको आप आवासीय भूमि मानें वरना हमारी आप से तकरार होगी। आपने आश्वासन दिया है कि यह प्रस्ताव इंक्लूड होगा। महोदय, किसान की भूमि पर इनकम टैक्स नहीं लगता। वह उसे बेचेगा या दूसरी खरीदेगा तो भी उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उस पर टैक्स नहीं लगता क्योंकि उसके पास रोजी-रोटी का कोई दूसरा साधन नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप यह भी जोड़ें कि उस पर श्रम ड्यूटी भी न लगे। बाकी मेरे कुछ साथियों ने कहा है कि जिस काम के लिए जमीन ली जाए, उसी के लिए इस्तेमाल हो, यह भी इस में है।

मैं यहां अगर भूमिहीन का नहीं जोड़ूंगा, तो उनके साथ बड़ी बेइंसाफी करूंगा। किसान, जिनकी भूमि अधिगृहीत की जा रही है, ऐसे उन भूमिहीन श्रमिकों, दिलतों एवं अन्य व्यक्तियों को, जो किसान की कृषि भूमि पर आधारित हैं, कम से कम एक परिवार को सौ गज का विकसित प्लाट दिया जाए, ताकि वह अपनी रोजी-रोटी चला सके। इसके साथ ही मुआवजे के साथ-साथ, जो जमीन आप अर्जित कर रहे हैं, खाली मुआवजे से ही आप हमारा पेट मत भरो, वहां जो चार खंबे गाड़कर, दो दीवालें खड़ी करके, सड़क बना करके आप पैसा कमाएंगे, उसमें हमें, हमारे किसानों को 15-20 परसेंट का हिस्सा चाहिए।

विना क्रांति के आग लगे न, मिटेगी यह तकरार नहीं। इसलिए बगावत चाहते हैं, इंसाफ हमें स्वीकार नहीं।

हम आपकी इस बात को नहीं मानते हैं। हमें हर वीज में हिस्सा चाहिए। नोएडा के अंदर एक परिवार से पचास रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन ली गई, लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से भी ज्यादा महंगे भाव यानी 3,73,000/- रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से वहां नोएडा में जमीन बिकी है। हमें इस कमाई में हिस्सा चाहिए। यह हमारे पुरखों की जायदाद है। हम कोई और काम नहीं करते, इसमें हमारी बहनें भी काम करती हैं, हमारे बच्चे भी काम करती हैं, हमारी मां भी काम करती हैं और जब सीमा पर जरूरत पड़ती है तो एक भाई खेत में काम करता है और दूसरा कंधे पर बंदूक रखकर भारत माता की रक्षा के लिए जाता है।

श्री उपसभापति : त्यागी जी, प्लीज खत्म करें। आपने चार मिनट ज्यादा ले लिए।

श्री के. सी. त्यागी: सर, हमारे साथ ऐसी ज्यादती कि हम ही मालिक और हम ही विस्थापित होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह कोई होली बाइबल या गीता नहीं है, जो आपने पेश की है। respect, लेकिन अगर किसान संगठनों के, मजदूर संगठनों के संशोधन आते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, आप उन्हें देखिए। रमेश जी, आप समाज के एक तबके में पॉपुलर हैं। कांग्रेस पार्टी आपको मंच पर ले जाएगी कि यह रमेश जी आए हैं, वोट दें। हम कहेंगे कि आप आगे बढ़ो, जैसे नेता जी के लिए कहते हैं कि फलां जी, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो रमेश जी, आप भी आगे बढ़ो, हम भी आपके साथ हैं, आप कुछ कीजिए। इतिहास में नाम दर्ज कराने के मौके कम ही आते हैं, बड़े-बड़े लोगों के दर्ज हैं।

श्री उपसभापति : ठीक है, आप समाप्त कीजिए।

श्री के. सी. त्यागी: जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो लुट गए हैं, उनकी आवाज बन कर आप इंसानियत के साथ इसको लाइए। आप इसको गीता, कुरान, बाइबल मत समझिए और जो संशोधन करने हैं, उन्हें कीजिए।

आपकी घंटी न बजाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI N. BALAGANGA (Tamil Nadu): Thank you very much, Mr. Deputy Chairman, Sir. Basically land is a State Subject. The details of land particulars, usage and the significant role it has in farmer's life are quite familiar to the State Government only. If the Central Government wants some guidelines to be followed by the State Government in the matter of acquisition, the State Government is ready to do so. Even according to this, the State Government will make legislation. Instead of doing that, the Union Government enters upon the domain of the State. I strongly oppose this tendency of the Union Government. Sir, after having found the provisions the 1894 Land Acquisition Act inadequate in addressing the vital issues, this Bill has been brought. But this Bill also needs some amendments. Sir, there must be a provision in the Bill that without the consent of the land owners, land use and acquisition activities will not be taken through any of the existing laws, Sir. In Tamil Nadu, the Gas Authority of India carried out installation of pipelines in the cultivable land in the Western part of Tamil Nadu. The cultivators of this land rose in revolt and there was every inevitability of breakdown law and order. Thanks to the efforts of the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi, the trouble was prevented and she allayed the fears of the people by making a declaration that the projects are for the people and the people are not for the projects. She suggested that pipeline projects should be implemented along the highways.

The root cause for all this trouble was that the Central Government had not consulted the State Government in this matter.

Sir, the Bill provides compensation, for the acquired land, to the rural farmers at four times the existing rates; whereas, in urban areas, the compensation will be thrice the existing rates. It is the State Government that has to directly deal with the matters pertaining to land acquisition in the States.

In the Statement of Objects and Reasons it is stated, I quote, "Land that is not used within ten years in accordance with the purposes, for which it was acquired, shall be transferred to the State Government's Land Bank. Upon every transfer of land without development, twenty per cent of the appreciated land value shall be shared with the original land owners." I would like to urge upon you that instead of sharing the appreciated land value, please give back the unused acquired land to the original owner. When the Government would pay compensation, as per the provision, 12 per cent interest per annum would be paid. I would like to urge that it should be enhanced to 15 per cent.

There is also a provision that any land can be acquired by using 'urgency' and 'exigency' clauses. There will be no social impact assessment, no environmental assessment, no rehabilitation and no resettlement. Eighty per cent of the land can be acquired through this Act. But one thing that causes concerns in our minds is the absence of the provision for rehabilitation and resettlement. I would like to urge upon the hon. Minister to ensure that this facility is there for the land owner, whose land has been acquired.

I have come to understand through newspaper items that experts and analysts are of the opinion that it is a body-blow to the ambitious 'one trillion investment target' set for the infrastructure development in the Twelfth Five Year Plan, as the new rules envisage high compensation and near-total consent of the affected parties to acquire land. The Government should come forward to explain to the House the impact of the Bill on the infrastructure projects of the future. The economic situation in India, at present, is very worrying as the dollar is becoming more and more expensive and the rupee more and more weak. Unless large infrastructure projects come, our economy would not improve. I would, once again, like to know from the Government what the impact of this Bill would be on our future infrastructure projects.

Provision for reservation and other facilities has also been made for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people. I would like to urge upon the hon. Minister to extend these facilities to the minority communities also.

With these reservations, I conclude my speech, Sir.

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I support this Bill on behalf of my party, Dravida Munnetra Kazhagam. First of all, I would like to appreciate the hon. Minister who has brought forward this Bill after a very good study. Just like the Food Security Bill, this bill can proudly be called as Farmers' Security Bill. Land is a scarce resource, but being a Welfare State, the Government is always in need of land for various welfare schemes. The power of Government to acquire private property for public use or public purposes is based on two well-established principles – one, regard for the public welfare, which is the prime object of any Government; and second, public necessity is greater than that of private necessity. The concept of Welfare State and these two important principals empower the State to acquire land for public purpose. With the acquisition of land, there comes a lot of issues and problems.

How to tackle these issues and problems has always remained a concern for the Government. The three principal factors of production are land, labour and capital. Often, a question was raised: Since there is no question of State acquisition of labour or capital, even at the margin, then, why should the State at all be involved in acquiring land — Mr. Derek O'Brien also raised this point— which is the most precious and scarce of the three factors of production? And that too for private enterprises, PPP enterprises or even public enterprises! If we reduce the agricultural land lease, it will not only affect the production but also destroy cultivating practice for the next generation. If the farmers of India forget the farming activities, then, which country, other than India, will supply food to our nation, which has more than a 100 crore population. Then, the slogans, 'Garibi hatao', 'Hunger hatao' cannot be sought, only 'people hatao', without food, can be. While conceiving a project, all aspects are taken care of by private enterprises. Then, why is the Government coming into the picture for acquiring land alone? Maybe, in the past, some mistakes or errors might have occurred. They are all out of bona fide intention. To tide over the situation, the Government proposes that local bodies be engaged in the process of making Social Impact Assessment of the proposed project. This is mandated under clause 4 which is a big leap. A cautious approach in the process of acquisition of land and including the representative body at the grassroot levels will, certainly, bring about a radical change. Sir, clause 29 talks about how to calculate the market value. One method is by the provisions of the Indian Stamp Act, 1899 and the other method is by taking the average of the sale deed registered in that area or in and around that area.

Sir, I hope everybody knows that there is prevalence of a syndicate system in our country. As you can see, in our House, my friend, Dr. Maitreyan and our BJP Deputy

Leader, Shri Ravi Shankar Prasad, cleft together. Sir, in this system, generally, people with a vested interest form a syndicate and they see that the market value is confined to a particular level and it is not taken beyond that level.(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a friendly remark.

DR. K.P. RAMALINGAM: Sir, the same thing is happening in land acquisition also. There is still some scope for improvement in this regard. I request the Government to take necessary steps in this regard.

Sir, in addition to this, there is a provision for solatium under clause 31. The solatium will be 100 per cent of the compensation arrived at by invoking clauses 27, 28 and 29. Sir, till now, solatium was awarded in motor accident cases to the relatives of the deceased. I hope not only me but the entire House will also join me in appreciating this new dimension.

Sir, the persons who lost their land in land acquisition process were made to run from pillar to post to have their genuine and legal compensation. The detailed procedures made out under Schedule-I ensure minimum compensation packages in a time-bound manner, which has been taken care of by clause 26.

In spite of all this, if any dispute arises, then comes into the picture the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority. There shall be a land acquisition, rehabilitation and resettlement authority. Section 17 of the Land Acquisition Act 1894 empowered the Government to bypass the procedures for acquiring of land citing the urgency reasons as ground for acquisition of land. Sir, clause 41 of the new Bill prescribes checks and balances — this is a very good sign — while invoking urgency clause. This is well defined.

Sir, now, I am coming to resettlement and rehabilitation aspect. I believe that for the first time in the history of our country, resettlement and rehabilitation has been given a statutory status. The ruler should frame the rules, not by brilliance but by heart. Here, this Bill has been framed by our Minister through his heart.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No brain? ... (Interruptions)...

DR. K.P. RAMALINGAM: Sir, instead of going to regular civil court, the people affected by the project will address their grievances to this Authority. This Authority will pass relevant order. If not satisfied, then the order can be challenged in the High Court. Thus, as per my knowledge, the burden of courts is removed by clause 64. In

[Dr. K. P. Ramalingam]

addition to this, delay and time-consuming processes are also done away with this new system which will benefit the land-owners.

Now, Sir, I am coming to the most controversial section. The most controversial section of the previous Act is 'Urgency Clause.' The Second Schedule to this Bill lists the elements of Rehabilitation and Resettlement that have to be included. While awarding Rehabilitation and Resettlement Award under clause 32, the Schedule enumerates ten elements that are to be included in the award compulsorily while announcing Rehabilitation and Resettlement Award. Sir, this package has included all the elements that are required by an individual to start his life from beginning to end. ... (Time-Bell)... Please give me two minutes more.

Sir, I wish to make one point more. While undertaking developmental activity, while executing a project, invariably, trees are chopped. The loss so happened should be suitably compensated and it has to be encouraged by 'Social Forestry' concept. The hon. Minister may not have the portfolio of the Ministry of Environment and Forests now, but he must think about the forests.

Sir, I wish to urge upon the Government one more thing. He has to ensure that the extent of cultivable agricultural land should not be reduced. If this is allowed to happen, the loss cannot be compensated at any cost. Please take this point into consideration.

Sir, finally, land cannot be defined in a casual manner. Land is the real 'God' to the Indian people as it is the 'life' to the Indian farmers. After our Independence, our Central and State Governments distributed lands to poor and marginalized people. This land cannot be sold to others and it cannot be acquired too. This type of land is named 'Panchami' lands. But this type of land is looted by big powerful people. To avoid this type of land-grabbing, certain special section has to be included in this Bill. Sir, in this request, our friends from CPM will definitely join us because they have already undertaken more than twenty agitations and *dharnaas* to get back *Panchami* Land in Siruthavur in Tamil Nadu.(*Interruptions*)...

With these words, I once again say that this Bill is a Farmers Security Bill. So, I appreciate and support the Bill wholeheartedly. Thank you, Sir.

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha): Sir, I thank you for giving me this opportunity to express the views of our Party on this important Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill.

Sir, we are adopting this Bill at a time when India has adopted a liberal-market economy where the State wants to encourage, promote and help the massive industrialization. We have seen how the draconian law, which was brought by the colonial rulers in 1894, has been ruining the lives of millions of farmers and perpetrating atrocities on them till now.

Government

Crores of people, including farmers, were displaced and made homeless. Also, they were not paid adequate compensation or given rehabilitation.

Sir, the present Minister, through his missionary zeal, has brought forward this Bill and it is likely to be implemented in the near future. But, in my opinion, the real intention of the Ruling Party, or the hon. Minister, is not to help the farmers. They talk about the interests of the farmers, but their real intention seems to be to provide land to the corporate houses, the multi-nationals and the builders in this country, so that they could make uninterrupted progress.

Sir, the intention of the hon. Minister is very good. I have great respect for him and I don't doubt his honesty, but I feel that this Bill has, on the one hand, failed to satisfy the farmers and, on the other, it has failed to satisfy the corporate houses. The builders apprehend that this Bill would delay the process of industrialization and building up private infrastructure in this country.

Sir, we must consider the farmers' interests too. In our country, we have many good laws for farmers. This House has passed many pro-people laws in the past, but there were many lapses in implementing those laws to protect the interests of the people. The authorities that were supposed to implement them did not take much interest and they failed in every manner.

Sir, in our country, we have seen tribals being alienated from their lands. Even during the Britishers' time, their lands were not taken away by the Government, but after Independence, the State declared that the tribal lands and forests are not their property and that they were not the owners of the land. In States like Odisha and some others, laws were framed in the '50s and '60s to protect the interests of the *adivasis*, which said that non-tribals can't take the land of the tribals. There are stringent laws in place, but there are certain loopholes through which the authorities, Collectors, land officers and non-tribals or outsiders have taken away their land. Because of that, millions of tribals have lost their land. What happened at Narayanpatna in Koraput district?

[Shri Baishnab Parida]

Sir, I appreciate the fact that the Minister had the courage to go to the fields, even inside the Naxal-affected areas. There is, at least, one Minister in the UPA Government who has the courage to do so, and I think, he has the intellect and the social and political commitment. That is why I appreciate him. He had gone to Niyamgiri to help the tribals. The tribals live in mountainous regions and in undeveloped areas, where there are no facilities for education, drinking water, healthcare, etc.

But, from a tribal mode of life, how can we bring them to a modern way of life? That is the question. We cannot say that minerals will not be used. I am not a votary of capitalism and private capital, but I want that historical process should be maintained. From a tribal mode of life, tribal way of life, how can their lives be transformed into the modern life? The minerals have to be extracted for industrial purposes. Otherwise, from where will we bring them? Will we bring from the moon? We have not reached that stage yet, or, we have not yet reached Mars. In future, after hundreds of years, the people of this earth may bring the minerals from those planets or satellites. But, at this juncture of our life, unless we use the minerals, unless we provide the minerals, the industry, whether it is State-owned industry or the private industry, will not survive. This is a major problem. Without land, you cannot have industries also. You cannot have infrastructure. You cannot build up modern localities also. For all that, you have to generate power and create employment opportunities. Since the scope of agriculture is gradually shrinking in the matter of providing more employment, the process of shifting of population from rural areas to the cities will take place. It is a social process that we have to witness. But, at the same time, by forcing the farmers, we can't build this country.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now conclude. Your time is over.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, you have given more time to my colleagues.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, you should sacrifice for your colleagues.

SHRI BAISHNAB PARIDA: I appreciate and support this Bill, but there are certain lacunae. In the name of SEZ, you have provided thousands of acres of land to the corporate houses. And, they are not utilising it. You have displaced thousands of farmers. The Government should provide them the land. In Odisha, in Brahmapur area of district Ganjam, the Minister knows that Tatas had acquired thousands of acres of land to build up a steel industry. But, for the past ten years, they have done nothing. The farmers are displaced. They have not been properly compensated, and the Tatas are not utilising the land. So, what will you do? Through this law, either we have to

7.00 р.м.

return the land to the farmers or the Tatas, or any other corporate house or SEZ company, have to resolve this situation. We have to re-acquire this land or we have to compel them to utilise this land.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now conclude. That's okay.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Second thing, Sir, is that there are thousands of acres of *bhoodan* land in this country, specifically in the tribal areas, the mountainous areas. Why are you not thinking of that land, of acquiring that land?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, you have already taken extra two minutes.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, another thing is that there are certain tribal people.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Parida, you have already taken two minutes extra.

SHRI BAISHNAB PARIDA: They don't have the land records and their lands were acquired forcibly, grabbed by non-tribals. What will they do? The tribals are fighting for their land in Narayanpatna. We have suppressed them. We have imprisoned them. So, they were pushed towards the Naxal movement.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude. There are 16 more speakers.

SHRI BAISHNAB PARIDA: There are many lacunae and limitations in this Bill. I think it is the beginning that the State has taken some realistic approach.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Parida, please conclude.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, we do not have objection. ... (Interruptions)... We support it. But in the implementation... (Interruptions)...

SHRI K.N. BALAGOPAL: Sir, we have another four hours' time and only sixteen speakers are there. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You want more speakers! ... (Interruptions)...

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, enough time is there. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If the House is ready to sit up to midnight, I have no problem. ... (Interruptions)... If you are ready to sit up to midnight, I have no

[Mr. Deputy Chairman]

problem....(Interruptions)... Another four hours more means, it will be over by 11 p.m., and, then, for passing the Bill, another one hour. ...(Interruptions)... Okay. ...(Interruptions)... No, no. That is not my job. We want to pass it today. This is what I understand. ...(Interruptions)... Now, please conclude.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, what I want to say is......(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ... (Interruptions)... You have made a very good speech. Why do you want to speak more?... (Interruptions)...

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, I want to draw your attention.....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Small is beautiful, you should know. ...(Interruptions)... Small is beautiful.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, regarding rehabilitation, first of all, you rehabilitate the people from whom you are taking land. First of all, rehabilitate them. Give them compensation. Rehabilitate them, and, have a more humane approach and provide them schools.....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. That is all. ... (Interruptions)... Next, Shri Ishwarlal Shankarlal Jain. ... (Interruptions)... That is okay. Mr. Parida, please conclude. ... (Interruptions)... It is not going on record. ... (Interruptions)... Mr. Jain, please start. ... (Interruptions)...

SHRI BAISHNAB PARIDA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not going on record. You have taken four minutes extra. ... (Interruptions)... It is over. It is not going on record. You have taken four minutes extra. ... (Interruptions)...

SHRI BAISHNAB PARIDA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the mike be off. ... (Interruptions)... Mr. Jain, please start.

SHRI ISHWARLAL SHANKARLAL JAIN (Maharashtra): Sir, how can I speak?(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken five minutes extra. जैन साहब, आपके पास 8 मिनट हैं। Let us all adhere to time so that we can complete it.

^{*} Not recorded.

SHRI ISHWARLAL SHANKARLAL JAIN: Sir, I will be brief and to the point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much.

श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन: उपसभापित महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। बहुत पुराने बाबा आदम के जमाने का जो ऐक्ट था, उसको रिप्लेस करने के लिए यह बिल आया है। जिनके साथ ज्यादितयाँ होती थीं, जिनके साथ अन्याय होता था, उस अन्याय को दूर करने के लिए राहुल जी ने खुद जाकर उनके साथ शेयर किया। उसको रियेलिटी में चेंज करने के लिए आदरणीय मंत्री महोदय काफी मेहनत करके यह बिल लाए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपसभापित महोदय, यह बिल तो बहुत अच्छा है। यह बिल न सिर्फ लैंड एक्विजीशन और कंपन्सेशन देने के बारे में है, बिल्क इसके साथ-साथ रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का भी जो प्रश्न है, जो वर्षों तक पड़ा रहता है और किसानों को जिसका परिणाम भुगतना पड़ता है, उसका भी विचार इसमें साथ-साथ किया गया है। इसिलए यह भले ही वॉल्युमिनस हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा, इसमें काफी सेक्शंस आ गए होंगे, परंतु यह सभी को कवर करते हुए उनके साथ न्याय देने की प्रक्रिया करता है। यह न्याय दिलाएगा, इसी विश्वास के साथ यह बिल लाया गया है। मैं इसके लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

उपसभापित महोदय, इस बिल को लाते समय कई चीजों का विचार किया गया है। इसलिए यह प्रश्न सामने आता है कि क्या यह बिल बैलेंस्ड है? एक तरफ तो हम किसानों को पूरा न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर साथ-साथ क्या इससे इंडिस्ट्रियल डेक्लपमेंट में रुकावट पैदा नहीं होगी? रुकावट निश्चित रूप से हो सकती है, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। अगर इसे एक बार लेकर नहीं छोड़ना है, तो उनकी रिहैबिलिटेशन का सवाल आएगा, कई चीजें होंगी, परंतु ये सब बातें क्यों न हों। जिनके पास है, अगर उनसे थोड़ा ज्यादा लेकर, जिनके पास नहीं है, उनको दिलाने का प्रयास इसके अंदर किया जा रहा है, तो हमें इसको सराहना चाहिए, हम सबको इसे मान्यता देनी चाहिए। यही प्रयास माननीय मंत्री जी ने किया है।

नीति और नीयत में फर्क होता है। इसके अंदर माननीय मंत्री महोदय की नीति तो बहुत अच्छी है, किसानों को न्याय दिलाने की है, परंतु साथ-साथ मुझे लगता है कि नीयत में कहीं तो खोट रह गई है।

यह बात में इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन बिल है, इसके अख्तियार में कितनी लैंड एक्वायर होगी? करीबी 20% से 25%, लेकिन 75% जो लैंड एक्विजिशन होता है, उन सबको इसमें से एग्जम्ट रखा गया है। उदाहरण के तौर पर डिफेंस का अपना लैंड एक्विजिशन होगा, नेशनल हाईवेज के लिए आपने एग्जम्ट कर दिया है, रेलवेज के लिए आपने एग्जम्ट कर दिया है, इस तरह जहां ज्यादा लैंड ली जाने वाली

[श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन]

है, वहां पर तो आपने एग्जम्ट कर दिया है। 75% लैंड एक्विजिशन इसमें आने वाला नहीं है, इसमें केवल 25% लैंड एक्विजिशन आएगा और उसी के अंदर आप उनको न्याय दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए में यह बात कह रहा हूं कि आपकी नीति तो बहुत अच्छी है, पर नीयत के अंदर खोट है। नीयत में यह खोट नहीं होनी चाहिए थी। इन सबको भी इसी के अंदर इन्क्लूड क्यों नहीं किया गया है? वहां पर भी अगर किसानों को ज्यादा देना पड़ता तो उसमें क्या गलत हो जाता? क्या ऐसा करने में उनके साथ अन्याय हो जाता? उनको भी इसमें इन्क्लूड करना चाहिए था, मेरा यही सुझाव है।

सर, मैं एक और बात कहूंगा। एक तरफ तो आप उनको दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनसे ले रहे हैं। जब आप लेंड एक्विजिशन करवाएंगे, तो लेंड लेने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट से तो आप ज्यादा दिलवाना चाहते हैं, यानी वहां पर जो प्रोजेक्ट आएगा, उससे आप उनको ज्यादा पैसा दिलवाना चाहते हैं, परंतु क्या किसान को फाइनली वह पूरा पैसा मिलेगा? नहीं। आजकल अर्बन डेवलमेंट हुआ है, जहां भी नगरपालिका होगी, उसके 8 किलो मीटर के अंदर अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसको नॉन-एग्रीकल्चरल लैंड में गिना जाएगा। उसके ऊपर उनसे 20% कैपिटल गेन टैक्स वसूल किया जाएगा।

सर, एक तरफ तो हम उनको ज्यादा दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट से भी उनको 20% के लिए एग्जम्शन क्यों नहीं देते? किसानों का फायदा हम क्यों न करें? आखिर वे भूमिपुत्र हैं और हम उनको जमीन से वंचित कर रहे हैं। फिर जो कुछ उनको मिला है, उस पर हम उनसे 20% टैक्स, कैपिटल गेन के नाते वसूल करते हैं। मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि कैपिटल गेन टैक्स से उनको एग्जम्शन दिया जाए, किसानों से 20% वापस न लिया जाए, इतना बैनिफिट उनको दिया जाए।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please address the Chair.

श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन: सर, एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अर्बन एरियाज के अंदर तो आपने डबल रेट कर दिया और रूरल में चार गुना कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि अर्बन में अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो, तो डबल की जगह ट्रिपल रेट होना चाहिए, लेकिन अगर वहां पर अर्बनाजेशन के लिए घर बनने वाले हों, उसके लिए रेट कम भी होगा तो चलेगा, जिससे वहां के लोगों को किफायती दरों पर घर मिल सकें।

परंतु हमारे प्रोजेक्ट्स अर्बन एरियाज में क्यों होने चाहिए? प्रोजेक्ट्स तो रूरल एरियाज में जाने चाहिए। अगर वहां उनको कम कीमत में जमीन मिलेगी, तो वे वहां जाना पसंद करेंगे, जिससे हमारे रूरल विलेजेज डेवलप होंगे, रूरल पब्लिक को काम मिलेगा, उनके बच्चों को, उनके घर के लोगों को वहां पर काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर हम उनको अर्बन एरिया के नजदीक रख देते हैं, तो रूरल एरिया में जाना कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर

कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई इंडस्ट्री आ रही है, अगर वे अर्बन एरियाज के पास आना चाहेंगे, तो उनके लिए दुगुना कम्पन्सेशन देने के बजाय तिगुना कम्पन्सेशन कर दिया जाएगा, तो फिर वहां कोई नहीं आएगा। Naturally, they will have to prefer कि हम रूरल में जाएंगे और वहां जाकर इंडस्ट्री लगाएंगे। ऐसा करने से एक तरफ तो हमारा रूरल एरिया फलेगा-फूलेगा और दूसरा, वहां की जनता को न्याय भी मिलेगा, साथ ही प्रोजेक्ट लगाने वाले को भी प्रोजेक्ट लगाने की कीमत कम पड़ेगी।

उपसभापति महोदय, इस बिल के साथ इन्होंने जो रीसेटलमेंट और रीहेबिलिटेशन का प्रावधान किया है, यह बहुत अच्छा किया है। कई वर्षों से लोग इसके इंतजार में हैं।

मंत्री जी ने एक बात इसमें और अच्छी की है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इससे आगे बढ़ कर और अच्छा करना चाहती है, तो ऐसा करने के लिए उसको खुली छूट है। यानी स्टेट गवर्नमेंट्स को कम से कम इतना तो करना ही है, यह उनके ऊपर बंधन है, लेकिन अगर वे इससे अच्छा करना चाहें, तो उसके लिए उनको खुली छूट होगी।

महोदय, मैं जिस स्टेट से आता हूं, वहां पर इरिगेशन के अंदर ऐसा ही होता है। अगर किसी की लैंड इरिगेशन में जाती है, तो जो कमांड एरिया बनने वाला है, उसके अंदर प्रपोर्शनेटली उसको जमीन दी जाती है। अगर इसमें उसकी 10 एकड़ जमीन जाती है, तो उसको 2 एकड़ डेवलप्ड जमीन मिलती है, जो 10 एकड़ से भी ज्यादा पैदा करती है। इससे उसकी इन्कम भी बढ़ती है और वह डेस्टिट्यूट भी नहीं होता है।

हमारी हालत भी खराब नहीं होती है। इसीलिए, जो अच्छा करना चाहें, उनके लिए तो आपने रखा है, परंतु क्यों न हम भी उसको लें, तािक अगर किसी के खयाल में न आए या कोई सरकार न करे, तो हम उसको बाद में करें। इसलिए, अगर अच्छाइयां ले सकें और उन अच्छाइयों का इसके अंदर आकलन कर सकें, तो किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा।

मैं पुन: एक बार अपनी ओर से और मेरी पार्टी एन.सी.पी. की ओर से मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि वे एक बहुत अच्छा बिल लाए हैं और मैं इस बिल को अपनी पार्टी का समर्थन देता हूं। धन्यवाद।

MR DEPUTY CHAIRMAN: He had eight minutes. He adhered to time. I request all other Members to follow him in this respect. Now, Shri Devender Goud T. Goud sahib, Others category has 47 minutes and eight speakers. You have six minutes.

SHRI DEVENDER GOUD T. (Andhra Pradesh): Sir, I rise to support the Land Acquisition Bill moved by the hon. Rural Development Minister. I support this Bill because no Government in the world, except a few, acquires land for private purpose. I support this because Andhra Pradesh is one such State which has suffered a lot. He

[Shri Devender Goud T.]

belongs to Andhra Pradesh; he got elected from Andhra Pradesh Assembly. He knows how the Government there has acquired lakhs of acres of land, including fertile land, for private purposes. The land is lying unutilised. They have not even paid the compensation to the farmers. They are all suffering a lot. The State Government from 2004 onwards has been rampantly acquiring lakhs of acres of land, including multi-crop irrigated land, for private parties without giving adequate compensation and against the wishes of the land-owners and farmers. So, I think, this Bill is in the right direction as this Bill will prevent the Government from acquiring land for private purposes. The land acquired by the Government of Andhra Pradesh, on behalf of private parties, should also be returned to land-owners and farmers immediately because they have not yet started any activity there whether in the name of township or metros. They acquired lakhs of acres of land which is lying idle. For Jalayagnam they have spent more than Rs.70,000 crore. I don't want to mention all those things because you have given me only six minutes. Even the CAG has pointed out that there are so many lapses in the Jalayagnam. They acquired the land but they have not utilised the land. The project is not coming in that area.

Secondly, the Bill allows acquisition of multi-crop irrigated land. If net-sown area is less than 50 per cent in a district, then it permits acquisition of ten per cent of the land. It is not acceptable. Sir, the agricultural production is less than four per cent in the country. And, the productivity of land in India is extremely low. By converting multi-crop irrigated land even as a last resort, we will not only lose productivity but also fertile land. The Bill permits to acquire 5 per cent of irrigated land for diversion to commercial purposes. It is recommended by the Mahajan Committee and the Government is taking shelter under this. It is not proper. I strongly demand that no irrigated land should be diverted to other purposes as we need to increase the production and productivity of foodgrains. This becomes more important after the passing of Food Security Bill.

Clause 95 of the Bill permits the Government to keep unutilised land for ten years in a Land Bank. I ask why that should be kept in Land Bank. I propose that either this should be returned to the land-owners or period should be reduced to five years or it should be re-allotted to others for exactly similar purpose. It is only then the objective of such acquisition is fulfilled.

Third point I wish to make is relating to Social Impact Assessment reports and mandatory rehabilitation and resettlement. Here, you are mandating SIA to be later reviewed by an expert committee, followed by Government survey. After that, any

decision can be challenged in courts. Does such procedure not delay industrialization and urbanization and hamper the growth trajectory of the country? If so, I would like to know from the hon. Minister how he is planning to reconcile both the things.

The next point I wish to raise is relating to jurisdiction of Parliament to make laws on transactions between private parties. I fail to understand how Parliament can make laws to oversee R&R on purchase of agricultural land through private negotiations. The hon. Minister is saying that Union derives its power to make laws on "acquisition and requisition of property" from Item No. 42 of the Concurrent List. Further, "transfer of property, other than agricultural land, registration of documents and deeds" is included in Item No. 6 of the Concurrent List. However, "transfer and alienation of agricultural land" is included in Item No. 18 of the State List. So, R&R arises out of transfer of agricultural land and the issue falls within the sole jurisdiction of State Legislatures. So, it does not fall under the residuary powers under Item No. 97 of the Union List.

Secondly, there is a possible circumvention of R&R requirements. For example, a private company can acquire or purchase multiple parcels of land below 50 acres in urban areas or 100 acres in rural areas to escape from rehabilitation and resettlement. In such a scenario, how will the Government protect the interests of affected parties? So, I suggest to the hon. Minister to reconsider this.

The next point is relating to payment of compensation. The Bill says that four times compensation would be paid to land in rural areas and the compensation would be twice the value in urban areas. Sir, I was Revenue Minister in Andhra Pradesh. I know how the value is fixed in the area. In 1995, twenty years back, so many farmers used to come to my office. I know how these transactions take place. The House is also aware as to how it is done. They undervalue the land at the time of registration to escape payment of stamp duty. So, the current market price should be the basis in deciding the value of the land. You take current market price into consideration.

Sir, the Bill says that consent of 80 per cent people in the case of privately acquired land or 70 per cent people in the case of Government acquired land is required. Hence, I draw the attention of the hon. Minister to Article 300A of the Constitution which says that no citizen should be deprived of property. In view of this, I request the hon. Minister to take appropriate decision on this issue.

With these words, I conclude my views on the Bill. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much, Devender Goudji. Now, Dr. Chandan Mitra.

DR. CHANDAN MITRA (Madhya Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to express my views on this very, very important piece of legislation.

Sir, it is a well-intentioned Bill and I do not doubt the sincerity of the Minister because he has pursued this and other *jholawala* Bills for a long time and has been successful in getting through his agenda. So, he certainly deserves congratulations.

Sir, I have no serious issues with the Bill because frankly, it is an improvement on the 2007 Bill which actually was based on a Report of the Rural Development Committee of that time, of which I was a Member for six years. We had unanimously proposed a legislation, or rather the amended legislation that the Government had proposed, and the Bill was passed by the Lok Sabha, but it was presented to the Rajya Sabha on the very last day of the previous Lok Sabha when it could not get passed and, therefore, the Bill lapsed altogether. So, the entire legislation was sent back afresh and it has been improved upon considerably in terms of compensation in particular and I am glad about that.

Sir, if you look at the historical experience, I want to put on record that in India land has been grabbed and farmers have been duped for centuries. Pathos of the Indian farmer who is not only economically dependent on land but also emotionally and psychologically dependent on land, is something that we very often fail to appreciate.

Sir, Rabindranath Tagore wrote a poem entitled "दुई बीघा जिम", which simple means 'दो बीघा जमीन' which is a famous film made under Mr. Bimal Roy's direction. Balraj Sahini played a very memorable role. But I am talking of the poem written by Rabindranath Tagore. In दो बीघा जिम, the poet talks about a very powerful landlord, feudal lord of the area, who fancies just two bigas of land, which belongs to a poor landless farmer. He had just those two bigas of land. The Zamindar decided to grab it. So, false cases were prepared that he had borrowed money and failed to return it. And *pyadas* of the landlord were sent; and the poor man was evicted from the land. Bereft of livelihood, bereft of family and every thing, the man leaves the village and wanders for many years. Then, one day he gets a strong urge to come back to his village and see what happened to those two bigas of his land that were seized from him. He finds that nothing has happened. It was just that landlord's desire that he should expand the area under his control and grab that land. Anyway, this man sits

under a mango tree which he had planted many, many years ago when he was the owner of those two bigas of land. He sits under the shade. Two ripe mangoes fall at his feet in a while. Rabindranath expressing the man's emotions, says he felt as if the mango tree has recognized that he had planted the tree and was paying a tribute to him by offering him those two fruits. At that point, while he was just leaving with those two fruits, the guard of the landlord saw him moving out of the land, grabbed him, tied him with a rope and brought him to the court of the landlord. There he was mercilessly beaten black-and-blue. Then, he was told not to set foot on this land ever again. So, the concluding lines of the poem are:

Tumi Maharaj Sadhu holey aaj, Ami aaj chor batey.

That you oh Lord, have become a sadhu, you are being praised as a great man. And I have become a thief because of the two mangoes that fell at my feet from the tree that I had once planted. Sir, the pathos of the Indian farmer is brought out in this where his land was grabbed. This, although has been written 100 years ago, by Rabindranath Tagore, is a reality even today. Anybody familiar with Munshi Premchand's writings will also testify to this reality. So, definitely, there is a prime need to reorganise the whole system, provide a mechanism so that land acquisition, if and when necessary, becomes fair and equitable, and just compensation is paid to the farmer.

Sir, my issue with this Bill is that while you have definitely tried to improve the conditions of the farmer so that he is not duped, not cheated, the Government's intervention. But, I think, there are other ways beyond working only on the compensation, rehabilitation and relief element.

Sir, I would like to point out to you that 16 per cent of the world's population resides in this country; and only 2 per cent of the land area is within the confines of the Indian Union. Sixteen per cent population and two per cent land! Very interestingly, Sir, 68.35 million hectares are designated as wasteland. And fifty per cent of designated wastelands are in non-forest areas. Even in the case of those in forest areas, we have to regenerate those forests. But fifty per cent are in non-forest areas. Since 1962, the Government of India has adopted a Wasteland Development Programme and further, if I am not mistaken, there is one more scheme, named after the Gandhi family, called the Rajiv Gandhi Wasteland Development Project or something like that.

SHRI JAIRAM RAMESH: There is no such programme.

DR. CHANDAN MITRA: You may take it into account while you reply. Sir, I want to know from the hon. Minister as to why this issue has not been brought forth in a significant way and why it has not been made mandatory. For the bulk of those seeking to acquire land for private industries or for public private partnership, why is it that they are not acquiring land in wastelands when nothing is happening there? But I will tell you the reasons why nobody wants to go there. Many of these places are remote areas. There is no road or rail connectivity. Industries are not being set up there because they say, "What is the point? Production costs are very high. How will we transport our manufactured goods to ports or cities?" So, the Government should have focused on this issue. Ultimately, we have to balance the needs of agriculture and farmers along with the need to promote industries. The manufacturing industry in India is going down day by day. The share of agriculture in GDP is going down and down. It is just 13 per cent. We all know the state of the manufacturing industry, and we are dependent on the services sector alone for our GDP. This is not an acceptable situation. So, in order to promote the manufacturing industry, when you acquire land, I think, wasteland development is something that the Government needs to, seriously, look into. And, acquisition of land, whenever necessary, should first be done in wasteland areas. Allot the land to the industry, invite the industry to go there and provide the connectivity and infrastructure required. The Government is going to acquire land for infrastructure. Even in this Bill, it is very clear that land will be acquired for infrastructure. But while creating the infrastructure which we, definitely, need, we should ask ourselves as to whether land will be used for infrastructure development alone. I am saying this in the context of what we have seen even in and around Delhi, that when a private organization was going to build an expressway, thousands of acres of land were acquired and handed over to the company. The Highway was built, indeed, a very fine Highway - but along with that, a lot of agricultural land was acquired and farmers were displaced. They agitated, but nothing happened. What we see is a lot of multi-storey residential apartments coming along the way. The price of these apartments is phenomenal. With a fantastic infrastructure in terms of a highway, that company has been allowed to make hundreds and thousands of crores of profit by building residential complexes, malls, cinema halls and other things in that stretch. And when a farmer sees that on his land, which was acquired at the circle rate, one square feet of built-up apartment is being sold at twenty or twenty five times more than the rate at which he was paid as compensation, don't you think that resentment is bound to occur? I would like to know whether there is any provision to prevent this kind of misuse of infrastructure building when in the name of infrastructure building,

ultimately, you are enabling private profit, in large quantities, to individual property developers and industries. Sir, we have all seen what has happened, — I am just talking about the vicinity of Delhi — the kind of land mafia, the mall mafia and various other mafias which have come up and which have acquired farmers' land to the tune of hundreds and thousands of acres. I know that the Bill tries to prevent that. They say that there will be a social impact assessment for every 100 acres of rural land acquired and every 50 acres of urban land acquired to prevent any such kind of exploitation.

But, Sir, what is the guarantee that some developer is not going to start buying small pieces of land — three acres, four acres, five acres — which is exempt from SIA and would amount to private purchase? Under this Bill, actually from the time of initiating the process to completion of acquisition, it will take about three years' time. In that period somebody keeps on buying small plots of land in the same area, adjacent to one another and at the end of it, you suddenly find that 200 acres have been acquired. There is no SIA, no compensation because it is just two or three acres at a time. Sir, this is the kind of misuse which is happening. राम गोपाल यादव जी, बिल्कुल सही कह रहे थे। हमने उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में देखा है कि वहां यही हो रहा है। में आपको फिर से सतर्क करना चाहता हूं कि किसानों को आपने जो मुआवजा देने की बात की है, वे उन्हें उससे वंचित करने के लिए जुगाड़ निकाल लेंगे। इसलिए सरकार को इस बात से सचेत रहना चाहिए और इस में सिर्फ सर्कल रेट की बात नहीं है, हम सभी जानते हैं कि सर्किल रेट तो एक उपहास है। उस पर लोग हंसते हैं। सभी जानते हैं कि ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करने के लिए जो चैक अमाउंट होती है, उसके लिए सर्कल रेट मान्य है। असल में, तो सर्कल रेट से कहीं ज्यादा कैश ट्रांसफर होता है, जिस पर जमीन खरीदी व बेची जाती है। इसलिए मंत्री जी अपने जवाब में बताएं कि जब हम सभी यह जानते हैं तो इसे रोकने के लिए कोई तरीका नहीं निकाला जा सकता? आपको यदि जमीन खरीदनी है, तो नोएडा चले जाएं। वहां सारे दलाल व भू-माफिया बैठे रहते हैं। आप उनसे पृष्ठिए कि जमीन का असल भाव क्या है? वे बता देंगे कि क्या भाव है। असल में यह सर्कल रेट कुछ रिफ्लैक्ट नहीं करता, उससे कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं होता। दलाल ही वहां सब कुछ जानते हैं और जमीन भी उन्हीं के कब्जे में है। वह सब अरेंज कर के आपको जमीन दिला देंगे। आज शहरों के आसपास जमीन लेने का उत्साह सब से ज्यादा है। Naturally, new towns are going to come up. Urbanisation is happening. Populations are going to shift. Now, how are you going to handle this because there will be some understanding and there will be wanton misuse of whatever law is brought about? I don't blame the Minister or Government X or Government Y. I am saying as a country. We have to try and confront this issue and devise appropriate measures so that the intention of the law makers — whether it is the Congress Government, the BJP Government or any other Government for that matter — can be actualised and the farmers are ultimately benefited and not robbed of their compensation.

[Dr. Chandan Mitra]

Sir, I have two more points to make. One, Sir, is I would need to know whether it is possible to attach a value to the loss of livelihood and I say this in the context of many small farmers in different parts of the country, particularly in Eastern India — where I come from — in Odisha, in Assam, in Bengal. There are small homesteads. Almost every homestead in a village has a small pond and they also have coconut trees. वहां नारियल के पेड़ और छोटे-छोटे तालाब होते हैं। वे तालाब से मछली निकालकर कुछ खाते हैं और कुछ बेचते हैं। इसी तरह नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ते हैं व उसे बेचते हैं और यहां तक कि there are toddy tappers in the South. The Minister is fully aware of it. There is an entire community of toddy tappers. सर, आप पेड़ काट देंगे और प्रावधान है कि आप उसे उसका कम्पन्सेशन भी देंगे, लेकिन वहां के लोगों की जीवन शैली और उनके जीवन चलाने के साधन चले जाएंगे, तो आप सोचिए कि उन पर क्या गुजरेगी? उसका मुआवजा आप कैसे देंगे?

You will give them some other land. You will say, 'We are going to retain your fishing rights.' The Bill says that if it is an irrigation project, they will be given fishing rights in reservoir that is to come up. But, Sir, it is not the same thing. I understand that it is not possible to recreate the same conditions somewhere else. But, we have to workout some thing — whether in terms of monetary compensation or in terms of finding an appropriate location in which lifestyle can be maintained and there is no serious loss of livelihood and culture.

Sir, there is a film called *Saudagar* which the hon. Minister might have watched. It is on the life of a toddy-taper. What happened to his livelihood when commercialisation came in? We are witnessing this all over the country. Commercialisation is happening everywhere. What is happening in Bengal is that coconut trees are being cut and their stems are being used in brick kilns, because they burn slowly. So, Sir, even before the Government pays any compensation, people themselves are cutting off trees and using them in brick kilns, because there is a demand for bricks as construction material. So, Sir, this is something we have to look into. I think, the measurement of livelihood and measurement of lifestyle is something that should be incorporated in this Bill in some way...(time-bell rings)...Sir, don't hurry me up. You have always been good to me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am good to everybody.

DR. CHANDAN MITRA: Sir, I am raising issues and trying my best not to repeat anything what the hon. Members have said before.

Sir, it has been said that there will be solatium. There is also a proposal that if there is any development and industry is set up one job per family must be assured at the minimum wage rate of that State. What happens if that thing does not happen, if no industry comes up? This has also been mentioned by my hon. colleague from Odisha. We have seen what has happened in Kalinganagar. One company acquired land at a very low rate 12 years ago and has done nothing except building a boundary wall. Entire village in the surrounding areas has turned Maoist. They are threatening to take up arms, because they were cheated of their land and nothing has happened. No development took place. No industry has developed. Take Singur which is a classic case. You drive down NH2. You can see just some sheds. What happened to the farmers who willingly gave their land and you promised them jobs? You go and travel just beyond that highway. In every family, Sir, there is a tale of misery. They did not get jobs. They got land. They got compensation. Compensation money is over. This also referred here. Sir, again, just outside Delhi, what happened? People are buying Mercedes Benz and BMW cars from the compensation that they have got, going to pubs in Gurgaon and molesting women! It is a daily recurrence. All money has been blown up. Sir, therefore, I would urge the hon. Minister that if industry is set up one job must be given. I would say that this Bill can be improved by saying, 'you pay a minimum salary per month to a family that has vis-a-vis been relocated or whose land has been taken and has been provided a house nearby.' Why do wait for industry to come up? Who knows when it will come up? And, by then, what kind of situation will prevail? Along with that, I think, there is a need to enforce on companies or Government organisation that takes away land to ensure skill development to all the displaced people, so that they don't have to remain, idle and find better jobs, more paying jobs as times go on.

Sir, these are the two concrete suggestions I have to make.

Finally, I am glad that the hon. Minister is bringing some amendments which take care of a few lacunae in the Bill and also I would like to stress again that leasing of land is a very good idea that has come up. Yes, I know. We have proposed it and the hon. Minster has accepted it.

Sir, I would like to say that we are all together in this. This is in the interest of the country. We want to see our peasants happy. If they are happy, they will produce more. And, we must give them productive remuneration for this. And the country would again become a *soney ki chidiya*. Today, it is a dud chidiya. It should not become a dead *chidiya*. We would like to see our country about which again another Bengali poet wrote:-

[Dr. Chandan Mitra]

Dhana-dhanneye, pushpe bhara,
Amader ei basundhara, Tahar majhey achhey
Je desh, sakal desher shewa, Se je sapnon
Dije tairee shey desh, smriti diye gada.
Eman desh ti kothao khaje padey na koi
Tumi, Shakal desher vani sheyje amaar janambhumi

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Message from Lok Sabha, Secretary-General.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Pension Fund Regularoy and Development Authority Bill, 2013

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2013, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 4th September, 2013."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

GOVERNMENT BILL

The Right To Fair Compensation And Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement Bill, 2013 – *Contd.*

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Aandhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I must congratulate my friend and the hon. Minister, Jairam Rameshji, for having introduced this remarkable Bill. I must say that the Bill reminds me of:-

'लोकोत्तरायणा संघटनाः निरुपमाः सन्निवेषा नद्वितीयाः।'

What I mean to say is, this is phenomenal, remarkable and spectacular. Now, how is that? On the one side, we had this 120-year old Land Acquisition Act which had been introduced by the British in 1894. Then, in 1962, 1967 and 1984, amendments were made to the 1894 Act, but this law was never replaced. Today, the UPA-2 Government, under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi and our Prime Minister, and Shri Jairam Ramesh have taken it upon themselves to face this challenge.